भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

दा दरगाह हजरत अब्बास, सादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लिए धरोहर उप-विधि

Heritage Bye-Laws for The Dargah Hazrat Abbas, Saadatganj, Lucknow, Uttar Pradesh

दा दरगाह हजरत अब्बास, सादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लिए धरोहर उप-विधि

Heritage Bye-Laws for The Dargah Hazrat Abbas, Saadatganj, Lucknow, Uttar Pradesh

विषय-सूची

	अध्याय I **प्रारंभिक**	
1.1	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ	1
1.2	परिभाषाएं	1-3
	अध्याय II **प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958 की पृष्ठभूमि**	
2.1	अधिनियम की पृष्ठभूमि	4
2.2	धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध	4
2.3	आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां	4-5
	अध्याय III **केंद्रीय संरक्षित संस्मारक- दा दरगाह हज़रत अब्बास, सादतगंज, लखनऊ , उत्तर प्रदेश का स्थान एवं अवस्थिति**	
3.1	संस्मारक का स्थान एवं अवस्थिति	6-7
3.2	संस्मारक की संरक्षित चारदीवारी	8
	3.2.1 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) के अभिलेखों के अनुसार अधिसूचना मानचित्र/योजना:	8
3.3	संस्मारक का इतिहास	8
3.4	संस्मारक का विवरण (वास्तुशिल्पीय विशेषताएं, तत्व, सामग्री आदि)	8
	3.4.1 प्रवेश द्वार का वास्तुशिल्प विवरण	8-9
	3.4.2 आंगन का स्थापत्य विवरण	9-10
3.5	वर्तमान स्थिति	10
	3.5.1 संस्मारक की स्थिति- स्थिति का आकलन	10
	3.5.2 प्रतिदिन आने वाले और कभी-कभार एकत्रित होने वाले आगंतुकों की संख्या	10
	अध्याय IV **स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में वर्तमान क्षेत्रीकरण, यदि कोई हो**	
4.1	वर्तमान क्षेत्रीकरण	11
4.2	स्थानीय निकायों के वर्तमान दिशानिर्देश/स्थिति	11
	अध्याय V **प्रथम अनुसूची एवं कुल स्टेशन सर्वेक्षण के अनुसार सूचना**	
5.1	संस्मारक की रूपरेखा योजना	12
5.2	सर्वेक्षित आंकड़ो का विश्लेषण	12
	5.2.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण	12
	5.2.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण	12-14
	5.2.3 हरित/खुले स्थानों का विवरण	14
	5.2.4 परिसंचरण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र - सड़कें, फुटपाथ, आदि	14-15
	5.2.5 भवनों की ऊंचाई (क्षेत्रवार)	15
	5.2.6 राज्य संरक्षित संस्मारक और सूचीबद्ध धरोहर भवन	15

	5.2.7 सार्वजनिक सुविधाएं	15-16
	5.2.8 संस्मारक तक सुसाध्यता	16
	5.2.9 अवसरंचनात्मक सेवाएं	16
	5.2.10 स्थानीय निकायों के दिशा–निर्देशों के अनुसार क्षेत्र का प्रस्तावित क्षेत्रीकरण	16
	अध्याय VI **संस्मारक का वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व**	
6.1	वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व	17-18
6.2	संस्मारक की संवेदनशीलता	18
6.3	संरक्षित संस्मारक या क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता	18-19
6.4	पहचान किये जाने वाले भू–उपयोग	19
6.5	संरक्षित संस्मारक के अतिरिक्त अन्य पुरातात्विक धरोहर अवशेष	19
6.6	सांस्कृतिक परिदृश्य	19-20
6.7	महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य	20
6.8	खुली जगह और निर्माण का उपयोग	20-21
6.9	पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियां	21
6.10	संस्मारक और विनियमित क्षेत्रों से दृश्यमान क्षितिज	21-22
6.11	पारंपरिक वास्तुकला	22
6.12	स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा यथा उपलब्ध विकासात्मक योजना	22
6.13	प्रस्तावित भवन संबंधी मानदंड	22-23
	अध्याय VII **स्थल विशिष्ट संस्तुतियां**	
7.1	स्थल विशिष्ट संस्तुतियां	24
7.2	अन्य संस्तुतियॉं	24

CONTENTS		
CHAPTER I **Preliminary**		
1.1	Short title, extent and commencements	25
1.2	Definitions	25-27
CHAPTER II **Background of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958**		
2.1	Background of The Act	28
2.2	Provisions of the Act related to Heritage Bye-laws	28
2.3	Rights and Responsibilities of the Applicant	28-29
CHAPTER III **Location and Setting of the Centrally Protected Monument – The Dargah Hazrat Abbas, Saadatganj, Lucknow, Uttar Pradesh**		
3.1	Location and Setting of the Monument	30-31
3.2	Protected boundary of the Monument	32
	3.2.1 Notification Map/ Plan as per ASI records	32
3.3	History of the Monument	32
3.4	Description of the Monument (architectural features, elements, materials etc.)	32
	3.4.1 Architectural Description of the Entrance Gateway	32-33
	3.4.2 Architectural Description of courtyard	33-34
3.5	Current Status	34
	3.5.1 Condition of the Monument - condition assessment	34
	3.5.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers	34
CHAPTER IV **Existing Zoning, if any, in the Local Area Development Plans**		
4.1	Existing Zoning	35
4.2	Existing Guidelines of the local bodies	35
CHAPTER V **Information as per First Schedule and Total Station Survey**		
5.1	Contour Plan	36
5.2	Analysis of surveyed data	36
	5.2.1 Prohibited Area and Regulated Area details	36
	5.2.2 Description of built up area	36-38
	5.2.3 Description of green/open spaces	38
	5.2.4 Area covered under circulation- roads, footpaths etc	38-39
	5.2.5 Heights of building (Zone wise)	39
	5.2.6 State protected monuments and listed Heritage Buildings	39
	5.2.7 Public amenities	39-40
	5.2.8 Access to monument	40
	5.2.9 Infrastructure services	40

	5.2.10 Proposed zoning of the area as per guidelines of the Local Bodies	40
CHAPTER VI **Architectural, Historical and Archaeological Value of the Monuments**		
6.1	Architectural, historical and archaeological value	41-42
6.2	Sensitivity of the Monument	42
6.3	Visibility from the Protected Monument or area and visibility from Regulated Area	42-43
6.4	Land-use to be identified	43
6.5	Archaeological heritage remains other than the protected monument	43
6.6	Cultural landscapes	43-44
6.7	Significant natural landscapes	44
6.8	Usage of open space and constructions	44-45
6.9	Traditional, historical and cultural activities	45
6.10	Skyline as visible from the monument and from Regulated Areas	45-46
6.11	Traditional architecture	46
6.12	Developmental plan as available by the local authorities	46
6.13	Proposed Building related parameters	46-47
CHAPTER VII **Site Specific Recommendations**		
7.1	Site Specific Recommendations	48
7.2	Other Recommendations	48

अनुलग्नक /Annexure

अनुलग्नक–I Annexure–I	दरगाह हज़रत अब्बास, लखनऊ की संरक्षित, प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र दर्शाने वाली स्थल योजना Site Plan Showing Protected, Prohibited and Regulated Areas of the Dargah Hazrat Abbas, Lucknow	49
अनुलग्नक–II Annexure–II	दा दरगाह हज़रत अब्बास, सादतगंज, लखनऊ , उत्तर प्रदेश की अधिसूचना Notification of The Dargah Hazrat Abbas, Lucknow	50-51
अनुलग्नक–III Annexure-III	दा दरगाह हज़रत अब्बास, लखनऊ का अभिलेखीय मानचित्र The Archival Map of The Dargah Hazrat Abbas, Lucknow	52
अनुलग्नक–IV Annexure–IV	दा दरगाह हज़रत अब्बास, लखनऊ के संरक्षित, प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र का भवन ऊंचाई मानचित्र Building Height Map of Protected, Prohibited and Regulated Area of The Dargah Hazrat Abbas	53
अनुलग्नक - V Annexure –V	उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 के स्थानीय निकाय दिशानिर्देश Local Bodies Guidelines of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act-1973	54-65
अनुलग्नक – VI Annexure –VI	दा दरगाह हज़रत अब्बास भवन, लखनऊ दर्शाने वाला लखनऊ मास्टर प्लान–2031 Lucknow Master Plan -2031 showing the Dargah Hazrat Abbas Buildings, Lucknow	66
अनुलग्नक - VII Annexure - VII	लखनऊ मास्टर प्लान–2031 – विनियमन क्षेत्र Lucknow Master Plan -2031 – Regulation Zone	67
अनुलग्नक –VIII Annexure - VIII	संस्मारक और इसके आसपास के चित्र Images of the Monument and its Surroundings	68-69

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधि विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम (22) के साथ पठित प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ङ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय संरक्षित संस्मारक, **"दा दरगाह हजरत अब्बास, सादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश"** के लिए निम्नलिखित धरोहर उप-विधि जिन्हें एमिटी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, एमिटी यूनिवर्सिटी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के परामर्श से सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया है, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्य प्रणाली), नियम, 2011 के नियम 18 के उप नियम (2) द्वारा यथा अपेक्षित जनता से आपत्ति या सुझाव आमंत्रित करने के लिए 29.09.2023 को प्रकाशित किया गया था।

यथा विनिर्दिष्ट दिनांक से पहले प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर सक्षम प्राधिकारी के परामर्श से राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण द्वारा विधिवत विचार किया गया है।

इसलिए, अब प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ङ की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण, निम्नलिखित उप-विधि बनाता है, नामत:

दा दरगाह हजरत अब्बास, सादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लिए धरोहर उप-विधि

अध्याय I
प्रारंभिक

1.1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:-

(i) इन उप-विधियों को केंद्रीय संरक्षित संस्मारक- दा दरगाह हज़रत अब्बास, सादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधि, 2023 कहा जाएगा।

(ii) ये स्मारक के सम्पूर्ण प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र तक लागू होंगी।

(iii) इन उप-विधियों के प्रावधान किसी भी अन्य उप-विधि में निहित असंगतता के बावजूद प्रभावी होंगे, चाहे इन उप-विधियों के प्रारंभ होने से पहले या बाद में बनाए गए हों, या किसी उप-विधि के आधार पर प्रभावी होने वाले किसी भी दस्तावेज़ में हों। इन उप-विधियों को किसी अन्य उप-विधि के अनुरूप बनाने के लिए इनमें संशोधन करना अनिवार्य नहीं होगा।

(iv) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगी।

1.2 परिभाषाएं:

(1) इन उप-विधियों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत दिए अनुसार परिभाषाएं सुविधा की दृष्टि से यहां पुन: लिखी गई हैं:-

(क) "प्राचीन संस्मारक" से कोई संरचना, रचना या संस्मारक, या कोई स्तूप या स्थान या दफ़नगाह या कोई गुफा, शैल-मूर्ति, शिला-लेख या एकाश्मक जो ऐतिहासिक,

पुरातत्वीय या कलात्मक रुचि का है और जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत हैं:-

(i) किसी प्राचीन संस्मारक के अवशेष,

(ii) किसी प्राचीन संस्मारक का स्थल,

(iii) किसी प्राचीन संस्मारक के स्थल से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो ऐसे संस्मारक को बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(iv) किसी प्राचीन संस्मारक तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;

(ख) ''पुरातत्वीय स्थल और अवशेष" से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्व के ऐसे भग्नावशेष या अवशेष हैं जिनके होने का युक्तियुक्तरूप से विश्वास किया जाता है, जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, और इनके अंतर्गत हैं-

(i) उस क्षेत्र से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो उसे बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(ii) उस क्षेत्र तक पहुंचने और उसके सुविधापूर्ण निरीक्षण के साधन;

(ग) "अधिनियम" से आशय प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) है;

(घ) "पुरातत्व अधिकारी" से भारत सरकार के पुरातत्व विभाग का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो सहायक अधीक्षण पुरातत्वविद से निम्नतर पद (श्रेणी) का नहीं है;

(ड.) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 20च के अधीन गठित राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(च) "सक्षम प्राधिकारी" से केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पुरातत्व निदेशक या पुरातत्व आयुक्त की श्रेणी से नीचे न हो या समतुल्य श्रेणी का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो:

बशर्ते कि केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 20ग, 20घ और 20ङ के प्रयोजन के लिए भिन्न भिन्न सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(छ) "निर्माण" से किसी संरचना या भवन का कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत उसमें ऊर्ध्वाकार या क्षैतिजीय कोई परिवर्धन या विस्तारण भी है, किन्तु इसके अंतर्गत किसी विद्यमान संरचना या भवन का कोई पुन:निर्माण, मरम्मत और नवीकरण या नालियों और जलनिकास सुविधाओं तथा सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों और इसी प्रकार की सुविधाओं का निर्माण, अनुरक्षण और सफाई या जनता के लिए जलापूर्ति की व्यवस्था करने के लिए आशयित सुविधाओं का निर्माण और अनुरक्षण या जनता के लिए विद्युत की आपूर्ति और वितरण के लिए निर्माण या अनुरक्षण, विस्तारण, प्रबंध या जनता के लिये इसी प्रकार की सुविधाओं के लिए व्यवस्था शामिल नहीं हैं;

(ज) "तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.)" से आशय सभी तलों के कुल आवृत्त क्षेत्र का (पीठिका क्षेत्र) भूखंड (प्लाट) के क्षेत्रफल से भाग करके प्राप्त होने वाले भागफल से अभिप्रेत है;

तल क्षेत्र अनुपात = भूखंड क्षेत्र द्वारा विभाजित सभी तलों का कुल आवृत्त क्षेत्र;

(झ) "सरकार" से आशय भारत सरकार से है;

(ञ) अपने व्याकरणिक रूपों और सजातीय पदों सहित "अनुरक्षण" के अंतर्गत हैं किसी संरक्षित संस्मारक को बाड़ से घेरना, उसे आच्छादित करना, उसकी मरम्मत करना, उसका पुनरूद्धार करना और उसकी सफाई करना, और कोई ऐसा कार्य करना शामिल है, जो किसी संरक्षित संस्मारक के परिरक्षण या उस तक सुविधाजनक पहुंच को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है;

(ट) "स्वामी" के अंतर्गत हैं-

(i) संयुक्त स्वामी जिसमें अपनी ओर से तथा अन्य संयुक्त स्वामियों की ओर से प्रबंध करने की शक्तियॉ निहित हैं और किसी ऐसे स्वामी के हक-उत्तराधिकारी, तथा

(ii) प्रबंध करने की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई प्रबंधक या न्यासी और ऐसे किसी प्रबंधक या न्यासी का पद में उत्तराधिकारी;

(ठ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है:

(ड) "प्रतिषिद्ध क्षेत्र" से धारा 20क के अधीन प्रतिषिद्ध क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ढ़) "संरक्षित क्षेत्र" से कोई ऐसा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(ण) "संरक्षित संस्मारक" से कोई ऐसा प्राचीन संस्मारक अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(त) "विनियमित क्षेत्र" से इस अधिनियम की धारा 20ख के अधीन विनिर्दिष्ट या घोषित किया गया विनियमित क्षेत्र अभिप्रेत है;

(थ) "पुन:निर्माण" से किसी संरचना या भवन का उसकी पूर्व विद्यमान संरचना में ऐसा कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसकी क्षैतिजीय और ऊर्ध्वाकार सीमाएं समान हैं;

(द) "मरम्मत और पुनरुद्धार" से किसी पूर्व विद्यमान संरचना या भवन के परिवर्तन अभिप्रेत हैं, किन्तु इसके अंतर्गत निर्माण या पुन:निर्माण नहीं होंगे।

2. इसमें प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का आशय वही अर्थ होगा जैसा अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों में समनुदेशित किया गया है।

अध्याय II

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम,1958 की पृष्ठभूमि

2.1 अधिनियम की पृष्ठभूमि :

धरोहर उप-विधियों का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित संस्मारकों की सभी दिशाओं में 300 मीटर के अंदर भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दखल के बारे में मार्गदर्शन देना है। 300 मीटर के क्षेत्र को दो भागों में बॉटा गया है (i) **प्रतिषिद्ध क्षेत्र**, यह क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र अथवा संरक्षित संस्मारक की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में एक सौ मीटर की दूरी तक फैला है और (ii) **विनियमित क्षेत्र**, यह क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में दो सौ मीटर की दूरी तक फैला है।

अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र और प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण अथवा खनन का कार्य नहीं कर सकता जबकि ऐसा कोई भवन अथवा संरचना जो प्रतिषिद्ध क्षेत्र में 16 जून, 1992 से पूर्व मौजूद था अथवा जिसका निर्माण बाद में महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमति से हुआ था, और विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना का निर्माण, पुन:निर्माण, मरम्मत अथवा पुनरुद्धार की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से लेना अनिवार्य है।

2.2 धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध :

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958 की धारा 20ङ और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम (धरोहर उप-विधियों का विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम 22 में केंद्रीय संरक्षित संस्मारकों के लिए उप-विधि बनाना विनिर्दिष्ट है। नियम में धरोहर उप-विधि बनाने के लिए मापदंडों का प्रावधान है। राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें तथा कार्य संचालन) नियम, 2011 के नियम 18 में प्राधिकरण द्वारा धरोहर उप विधि के अनुमोदन की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट है।

2.3 आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां :

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ग में प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत और नवीकरण के लिए अथवा विनियमित क्षेत्र में निर्माण अथवा पुन: निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण के लिए नीचे दिये गये अनुसार आवेदन करने का ब्यौरा दिया गया है :

क) कोई व्यक्ति जो किसी भवन अथवा संरचना का स्वामी है, जो 16 जून,1992 से पहले प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मौजूद थी या जिसे बाद में महानिदेशक, एएसआई की मंजूरी से बनाया गया था और जो ऐसे किसी भी भवन अथवा संरचना की मरम्मत अथवा नवीकरण का कार्य करना चाहता है तो वह ऐसी मरम्मत और नवीकरण, जैसा भी मामला हो, के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

ख) कोई व्यक्ति जो किसी विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना अथवा भूमि का स्वामी है और ऐसी भूमि पर बने ऐसे भवन अथवा संरचना का निर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण जैसा भी मामला हो, करना चाहता है तो वह निर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

ग) सभी संबंधित सूचना प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें और कार्यप्रणाली) नियम, 2011 के अनुपालन की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

अध्याय III

केंद्रीय संरक्षित स्मारक - दा दरगाह हज़रत अब्बास, सादतगंज, लखनऊ , उत्तर प्रदेश का स्थान एवं अवस्थिति

3.1 स्मारक का स्थान एवं अवस्थिति –

दा दरगाह हज़रत अब्बास, एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक के सादतगंज, लखनऊ के रुस्तम नगर के भीतर कश्मीरी मोहल्ले में स्थित है। भौगोलिक निर्देशांक इसके स्थान को इंगित करते हैं:

अक्षांश: 26°51'39.26"N, **देशांतर:** 80°53'39.79"E.

स्मारक के निकट की सड़क तुलसीदास मार्ग के साथ निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करती है, जो लखनऊ शहर के भीतर कई महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ता है । हालाँकि, अंतिम खंड को दरगाह के नाम से भी जाना जाता है, इस कनेक्शन की हज़रत अब्बास रोड को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें कुछ चुनौतियां और संकीर्ण चौड़ाई शामिल है, जो भारी यातायात भीड़ से बढ़ जाती है।

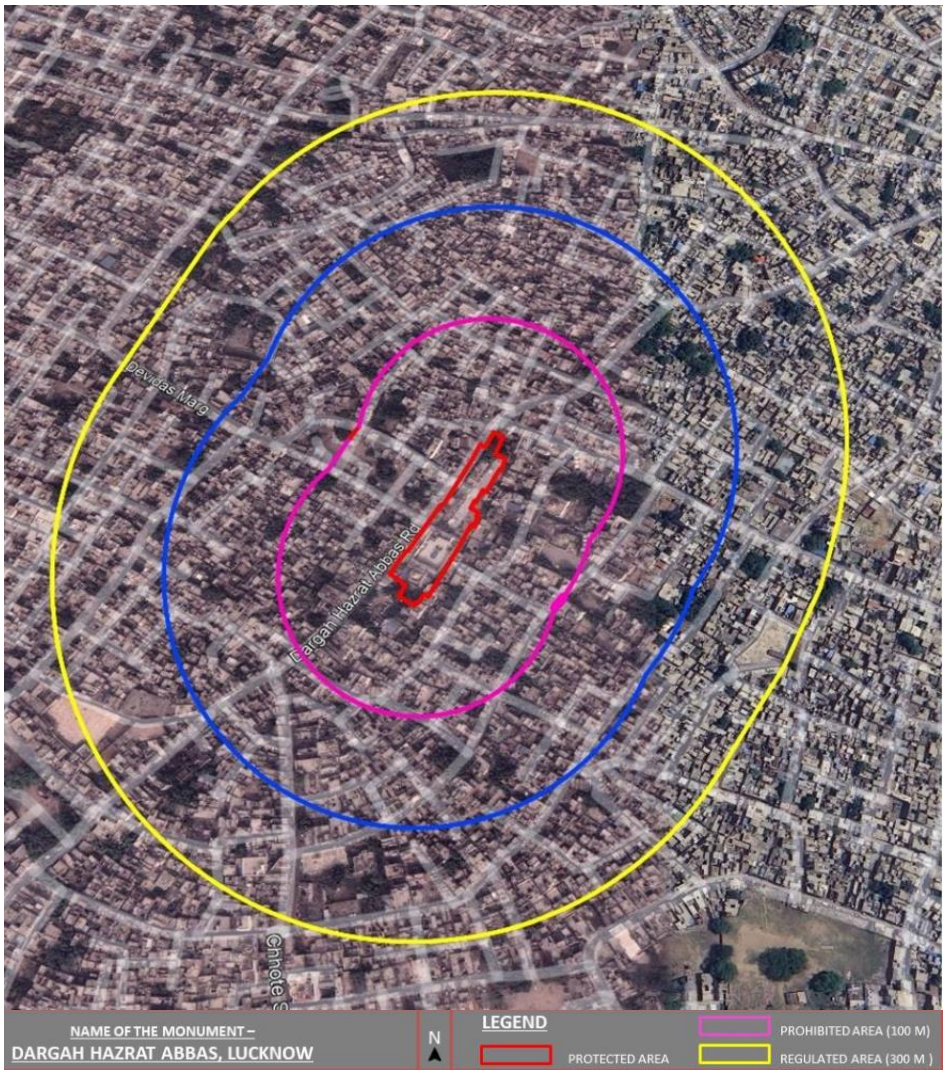

चित्र 1 सादतगंज, लखनऊ में संरक्षित, प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र सहित दा दरगाह हज़रत अब्बास की स्थान स्थिति दर्शाता गूगल मानचित्र

दरगाह हज़रत अब्बास का यह प्रतिष्ठित स्थल खुद को मुख्य रूप से घनी आबादी वाले आवासीय क्षेत्र से घिरा हुआ पाता है। इस संदर्भ में यह समृद्ध और विविध इस्लामी सांस्कृतिक परिदृश्य के बीच स्थित है, भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तत्वों से बुना हुआ एक चित्रपट्ट जो सामूहिक रूप से इस संरक्षित स्मारक के आसपास के वातावरण को आकार देता है। दरगाह के निकट स्थित संरचनाएँ हज़रत अब्बास, रौज़ा, मजार, कब्रों, मस्जिदों, मदरसों और इस्लामी केंद्रों सहित दैनिक अनुष्ठानों, सांप्रदायिक समारोहों और धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय नोड के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह उल्लेखनीय है कि दो संरक्षित स्मारक, अर्थात् काज़ मैन बिल्डिंग और डायनुत -उद-दौला का कर्बला भी आसपास के क्षेत्र में स्थित हैं।

निकटतम हवाई अड्डा चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो स्मारक से 13 किमी दूर है और भारत के सभी महानगरीय शहरों से जुड़ हुआ है। निकटतम रेलवे स्टेशन चारबाग रेलवे स्टेशन है जो स्मारक से 7.3 किमी दूर है।

चित्र 2. दियानत -उद-दौला का कर्बला और काज मैन बिल्डिंग, लखनऊ सहित दा दरगाह हज़रत अब्बास का संरक्षित स्मारक

3.2 स्मारक की संरक्षित सीमा:

केंद्रीय संरक्षित स्मारक - दा दरगाह हज़रत अब्बास, लखनऊ की संरक्षित सीमाएँ **अनुबंध- I** में देखी जा सकता हैं।

3.2.1 एएसआई रिकॉर्ड के अनुसार अधिसूचना मानचित्र/योजना:

दा दरगाह हज़रत अब्बास, लखनऊ की राजपत्र अधिसूचना की प्रति को **अनुबंध- II** में देखा जा सकता है।

3.3 स्मारक का इतिहास

यह तीर्थस्थान ईंट के गुंबद से ढकी एक साधारण इमारत के रूप में नवाब आसफ-उद-दौला (1775-97 ई) के काल में अस्तित्व में आई थी। नवाब सादत अली खान (1798-1814 ई.) ने अवध के शासक के रूप में अपनी इच्छा पूरी करने के बाद एक बांसुरीदार भव्य गुंबद के साथ तीर्थस्थान का पुनर्निर्माण किया और इमारत का विस्तार किया।

ऐसी मान्यता है कि हजरत अब्बास का असली अलम (धातु की शिखा) नवाब आसफ़–उद–दोला के शासनकाल में यहां स्थापित किया गया था। दरगाह की मुख्य इमारत में एक ऊंचा टैंक, दाईं ओर एक छोटी मस्जिद के साथ एक आयताकार हॉल और एक बाड़े की दीवार के भीतर केंद्र में शाह-एन-शीन (उठा हुआ मंच) है, जिसके साथ मेहराबदार कक्ष और एक ऊंचा प्रवेश द्वार है। आयताकार प्रार्थना कक्ष में सात मेहराबों का एक शानदार अग्रभाग है, मध्य भाग सबसे ऊंचा है, जिसके दोनों ओर दो पतली मीनारें हैं। राजा गाजी- उद -दीन हैदर (1814-27 ई.) ने दरगाह में चांदी से बना एक दरवाजा लगाया और एक नक्कारखाना प्रवेश द्वार स्थापित किया। कहा जाता है कि नवाब नासिर-उद-दीन हैदर (1827-37 ई.) की पत्नी मल्का ज़मानिया ने भोजन के मुफ्त वितरण के लिए एक रसोई छात्रावास बनाया था। ऐसा माना जाता है कि वाजिद अली शाह (1847-56 ई.) को जब 1856 ई. में अंग्रेजों द्वारा अपदस्थ किया गया था, तो उन्होंने कोलकाता में कारावास के लिए जाने से पहले अपना मुकुट और तलवार दरगाह में जमा करा दी थी।

3.4. स्मारक का विवरण

दा दरगाह की मुख्य इमारत वास्तुशिल्प तत्वों और आध्यात्मिक महत्व का सामंजस्यपूर्ण संश्लेषण है। इसका ऊंचा टैंक, आयताकार हॉल, छोटी मस्जिद, मेहराबदार कक्ष, प्रवेश द्वार और इसके केंद्रीय मेहराब और प्याज जैसे गुंबद के साथ प्रार्थना कक्ष सभी एक साथ मिलकर गहन वास्तुशिल्प और आध्यात्मिक महत्व का स्थान बनाते हैं।

अनुलग्नक - III देखें

3.4.1 प्रवेश द्वार का वास्तुशिल्प विवरण

प्रवेश द्वार स्थापत्य शैली के मिश्रण का एक शानदार प्रमाण है, जो नुकीले मेहराबों, बहु-फ़ॉइल्ड मेहराबों, पेडिमेंट और अन्य विशिष्ट तत्वों के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण को प्रदर्शित करता है। यह वास्तुशिल्प उत्कृष्ट कृति एक कार्यात्मक प्रवेश द्वार और कला के काम दोनों के रूप में कार्य करती है, जो अपनी भव्यता और सुंदरता के साथ आगंतुकों का स्वागत करती है।

- **नुकीले मेहराब:** प्रवेश द्वार की सबसे खास विशेषता इसके नुकीले मेहराब हैं, जो खूबसूरती से आकाश की ओर उठे हुए हैं। इन मेहराबों को उनकी दो लंबी, पतली भुजाओं से परिभाषित किया जाता है जो शीर्ष पर एक नुकीले बिंदु पर मिलती हैं। नुकीले मेहराबों का उपयोग संरचना में ऊर्ध्वाधरता और गॉथिक प्रभाव की भावना पैदा करता है, जिससे ऊपर की ओर बढ़ने की भावना पैदा होती है।

- **बहु-पर्णीय मेहराब:** प्रवेश द्वार को सुशोभित करने वाले बहु-पुष्की मेहराब हैं, प्रत्येक को कई अतिव्यापी वक्रों और लोबों के साथ जटिल रूप से डिजाइन किया गया है। इस्लामिक और मूरिश वास्तुशिल्प रूपांकनों से प्रेरित ये मेहराब, प्रवेश द्वार की समग्र भव्यता के बीच जटिलता और नाजुकता की भावना पैदा करते हैं।

- **पेडिमेंट:** प्रवेश द्वार के शीर्ष पर, प्रत्येक तरफ एक, दो पेडिमेंट हैं, ये त्रिकोणीय संरचनाएं डिज़ाइन में एक शास्त्रीय स्पर्श जोड़ती हैं। पेडिमेंट को जटिल नक्काशी से सजाया गया है, जो संरचना में गहराई जोड़ता है।

- **दोहरी-ऊंचाई वाला प्रवेश द्वार:** प्रवेश द्वार स्वयं एक दोहरी-ऊंचाई वाला स्थान है, जो बड़े स्तर की भावना की अनुमति देता है और वहां से गुजरने वालों के लिए एक प्रभावशाली छाप छोडता है। यह दोहरी ऊंचाई न केवल सौंदर्य को बढ़ाती है बल्कि मुहर्रम के दौरान लोगों और आलम के बड़े समूहों को व्यवस्थित करके एक व्यावहारिक समारोह भी प्रदान करती है।

- **कंगनी:** प्रवेश द्वार के शीर्ष पर अलंकृत कंगनी की एक श्रृंखला है। ये सजावटी मोल्डिंग सौंदर्य और कार्यात्मक दोनों उद्देश्यों को पूरा करते हैं, समग्र संरचना में वास्तुशिल्प शोधन का पुट डालते हुए संरचनात्मक आधार प्रदान करते हैं।

3.4.2 आंगन का स्थापत्य विवरण

यह प्रांगण वास्तुशिल्प तत्वों का एक उत्कृष्ट मिश्रण है जो एक आकर्षक और सामंजस्यपूर्ण स्थान बनाता है। यह शिल्प कौशल और कलात्मक दृष्टि का एक प्रमाण है जो समय और संस्कृति से परे है तथा भव्यता और शांति की भावना पैदा करता है।

- **स्तम्भश्रेणी :** इस प्रांगण का केंद्रीय केंद्र राजसी स्तम्भश्रेणी है जो इसे घेरे हुए है। स्तंभ में सजावटी स्तंभों की एक श्रृंखला शामिल है, जो समान अंतराल पर सुंदर ढंग से स्थित हैं। बेहतरीन सामग्रियों से तैयार किए गए ये स्तंभ जटिल नक्काशी और अलंकृत डिजाइन प्रदर्शित करते हैं जो क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देते हैं।
- **अर्ध-वृत्ताकार मेहराब:** तोरण अर्ध-वृत्ताकार मेहराबों से बना है, प्रत्येक तोरण सुंदर रूप से ऊपर उठता है और फिर अपने पास वाले मेहराबों से मिलने के लिए धीरे से मुड़ता है। ये मेहराब आंगन में गतिशीलता और लय का एहसास कराते हैं। उनका सरल लेकिन कालातीत डिज़ाइन अधिक अलंकृत तत्वों के साथ एक सुखद आभास प्रदान करता है।
- **विविध मेहराब राहत कार्य:** अर्ध-गोलाकार मेहराब के स्पैन्ड्रेल के भीतर जटिल विविध मेहराब राहत कार्य प्रमुखता से प्रदर्शित होता है। मूरिश और इस्लामी वास्तुकला परंपराओं से प्रेरित ये सजावट, नाजुक ज्यामितीय पैटर्न,

जटिल पुष्प रूपांकनों और अमूर्त डिजाइनों को दर्शाते हैं। मेहराब राहत कार्य एक दृश्य टेपेस्ट्री के रूप में कार्य करता है जो मेहराब में छाप और जटिलता जोड़ता है।

- **सजावटी स्तंभ:** मेहराब को सहारा देने वाले सजावटी स्तंभ अपने आप में कला का एक नमूना हैं। उत्कृष्ट नक्काशी से सुसज्जित इन स्तंभों में रूपांकनों की विशेषता है। वे जटिल रूप से डिज़ाइन किए गए आधारों से उठते हैं और अलंकृत राजधानियों में समाप्त होते हैं जो भव्यता और बनावट की भावना बढ़ाते हैं।
- **सजावटी पैरापेट:** आंगन के चारों ओर एक सजावटी पैरापेट है जो समान अंतराल पर गुच्छों, चांदी के काम और छोटे गुंबदों से सजाया गया है। ये पैरापेट न केवल ऊंचे रास्तों की सुरक्षा बढ़ाते हैं बल्कि दृश्य तत्वों के रूप में भी काम करते हैं जो संलग्नता और निजता की भावना पैदा करते हैं। छोटे गुंबद समग्र डिजाइन में सुंदरता बढ़ाते हैं।
- **मीनारें:** प्रांगण के चारों कोनों पर छोटी-छोटी मीनारें हैं। ये पतली मीनारें आकाश की ओर बढ़ती हैं, जो अंतरिक्ष के आध्यात्मिक और स्थापत्य महत्व का प्रतीक हैं । उन्हें सुंदर पंखों से सजाया गया है, जो आंगन के क्षितिज में ऊर्ध्वाधरता और शोभा बढ़ाते हैं।

3.5 वर्तमान स्थिति

3.5.1 स्मारक की स्थिति - स्थिति का आकलन

केंद्रीय संरक्षित स्मारक (सीपीएम) और इसके संरक्षित क्षेत्र का रखरखाव और संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) का विशेष क्षेत्र है। संरक्षित स्मारक की वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाले चित्र **अनुबंध-VIII** में संलग्न हैं।

3.5.2 दैनिक दर्शकों की संख्या और कभी-कभार एकत्रित होने वालों की संख्या:

चूंकि स्मारक में टिकट नहीं लगता है, इसलिए इसमें आगंतुकों की आधिकारिक रजिस्ट्री नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप दैनिक दर्शकों की संख्या/आगंतुकों के संबंध में उचित जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालाँकि, इसके बारे में जानकारी अवलोकनों और स्मारक के आसपास के परिवेश से निकटता से जुड़े व्यक्तियों के साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त की गई है। दैनिक उपस्थिति 400-500 आगंतुकों तक सीमित है जो ज्यादातर स्थानीय हैं। कभी-कभार होने वाली धार्मिक सभाओं जैसे मजलिस और नवचंदी में आगंतुकों की संख्या बढ़कर 1000-2000 हो जाती है । मुहर्रम के समय स्मारक में पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ जाती है।

अध्याय IV

स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में मौजूदा क्षेत्रीकरण

4.1 स्थानीय क्षेत्र:

मौजूदा क्षेत्रीकरण लखनऊ मास्टर प्लान 2031, धारा 8.11.11 के अनुसार लखनऊ विकास क्षेत्र को 31 विनियमन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है **(अनुलग्नक VII)**। दा दरगाह हजरत अब्बास का स्थल क्षेत्रीय योजना के **जोन 13** के अंतर्गत आता है। ये विनियमन क्षेत्र आम तौर पर सजातीय क्षेत्र की मुख्य सड़कों की सीमा तक ही सीमित होते हैं। मास्टर प्लान 2031 के अनुसार अलग–अलग विनियमन क्षेत्रों की विस्तृत विकास योजनाओं के प्रस्ताव अभी तैयार नहीं किए गए हैं।

अनुलग्नक - VII देखें

4.2 स्थानीय निकायों के मौजूदा दिशानिर्देश:

लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) द्वारा तैयार लखनऊ मास्टर प्लान 2031 के अनुसार मौजूदा स्थानीय भवन उपनियमों को **अनुबंध V** में देखा जा सकता है।

अध्याय V

प्रथम अनुसूची, नियम 21(1) के अनुसार जानकारी/ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अभिलेखों में परिभाषित सीमाओं के आधार पर प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों का कुल स्टेशन सर्वेक्षण

5.1 रूपरेखा योजना/सर्वेक्षण योजना/स्थल योजना:

दा दरगाह हज़रत अब्बास, लखनऊ की सर्वेक्षण योजना को **अनुबंध- I** में देखा जा सकता है।

5.2 सर्वेक्षित आंकड़ों का विश्लेषण:

5.2.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण:

दा दरगाह हज़रत अब्बास के लिए प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण नीचे सूचीबद्ध है:

कुल संरक्षित क्षेत्र: 4740.48761 वर्गमीटर (लगभग)
कुल प्रतिषिद्ध क्षेत्र: 69369.99874 वर्गमीटर (लगभग)
कुल विनियमित क्षेत्र: 326163.6777 वर्गमीटर (लगभग)

मुख्य विशेषताएं:

यह स्मारक शिया समुदाय की मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक प्रथाओं में योगदान देता है। स्मारक के भीतर और दी गई सीमाओं बाहर रौज़ा, मकबरा और इमामबाड़े की अन्य ऐतिहासिक संरचनाओं के साथ-साथ स्मारक सहित सांस्कृतिक परिदृश्य मुहर्रम के दौरान यह तीर्थ यात्रा मार्ग का प्रतीक है। इसके अलावा, बागों/खुले स्थानों और सार्वजनिक भवनों से युक्त घनी आवासीय बस्ती स्थानिक विशेषताओं को और अधिक परिभाषित करती है।

5.2.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण

क. प्रतिषिद्ध क्षेत्र

<u>उत्तर</u>

प्रतिषिद्ध क्षेत्र के उत्तरी भाग में एक घनी आबादी वाली आवासीय कॉलोनी है जिसे रुस्तम नगर कहा जाता है। मुख्य दरगाह अब्बास रोड पर कुछ व्यावसायिक संरचनाएँ भी स्थित हैं । यह क्षेत्र कमरा-ए-बानी, हासिम मस्जिद, मस्जिद मीर सादक हुसैन, हुसैनी मस्जिद और मस्जिद इमाम-ए-ज़माना सहित कई महत्वपूर्ण धार्मिक प्रतिष्ठानों का भी स्थान है । इसके अतिरिक्त, कामरान मोंटेसरी स्कूल और इरम मॉडर्न स्कूल जैसे शैक्षणिक संस्थान भी हैं जो समुदाय की शैक्षिक आवश्यकताओं में योगदान करते हैं।

<u>उत्तर पूर्व</u>

उत्तर पूर्वी हिस्से के निर्मित क्षेत्र में अल-अब्बास इस्लामिक लाइब्रेरी है जो धार्मिक अध्ययन और अनुसंधान के लिए कार्य करती है। इस क्षेत्र में मोहम्मदी मस्जिद और दरवाजे वाली मस्जिद जैसी धार्मिक संरचनाएं भी मौजूद हैं।

कश्मीरी मोहल्ला रोड मार्केट ऐसी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करता है जो दैनिक आवश्यक वस्तुओं से लेकर अद्वितीय स्थानीय उत्पादों तक होती हैं।

इस क्षेत्र के आवासीय घटक की विशेषता संकरी गलियाँ और गलियाँ हैं जिनमें घरों का समूह है। ये सड़कें एक घनिष्ठ पड़ोस का माहौल बनाती हैं, जिससे निवासियों के बीच समुदाय की भावना को बढ़ावा मिलता है।

यहां दो महत्वपूर्ण सड़कें (दरगाह) हैं हज़रत अब्बास रोड और कश्मीरी मोहल्ला रोड) जो क्षेत्र के परिवहन नेटवर्क के भीतर एक आवश्यक जंक्शन बनाते हुए लंबवत रूप से प्रतिच्छेद करते हैं। यह सड़क संभवतः इलाके के विभिन्न हिस्सों को जोड़ती है और वाणिज्यिक और आवासीय क्षेत्रों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करती है।

पूर्व

प्रतिषिद्ध क्षेत्र के पूर्वी हिस्से में महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों और आवासीय पड़ोस का एक अनूठा मिश्रण है। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व से भरपूर, इस क्षेत्र में कई उल्लेखनीय स्थान शामिल हैं, जिनमें रौज़ा -ए- फ़ातमैन , रौज़ा शामिल हैं। बेतुल हसन , मीर मेहल्ला मस्जिद और रौज़ा नज़फ़ ये धार्मिक स्थल एक विशाल परिसर में एक साथ एकत्रित हैं, जहां भक्त विभिन्न सामूहिक गतिविधियों के लिए इकट्ठा होते हैं, खासकर महीने के शुभ दिनों और उत्सव के अवसरों के दौरान।

इन धार्मिक संरचनाओं का परिवेश धीरे-धीरे एक आवासीय क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी विशेषता बारीकी से जुड़ी हुई संकरी गलियाँ हैं। यहां केवल कुछ ही व्यावसायिक इमारतें फैली हुई हैं, जो इस इलाके की मुख्य रूप से गैर-वाणिज्यिक प्रकृति को रेखांकित करती हैं।

दक्षिण पूर्व और दक्षिण

प्रतिषिद्ध क्षेत्र के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी हिस्से में, मुख्य रूप से एक आवासीय क्षेत्र है जिसे न्यू रुस्तम नगर के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसमें एक धार्मिक स्थल, मुराहद है। की मस्जिद.

दक्षिण पश्चिम

दक्षिण-पश्चिमी प्रतिषिद्ध क्षेत्र की ओर, दो विवाह सह भोज स्थल हैं, अर्थात् एनके पैलेस और नायाब पैलेस मैरिज हॉल। इन स्थानों के निकट, पार्किंग के लिए एक खुला क्षेत्र निर्दिष्ट है। इस क्षेत्र में व्यावसायिक स्थान भी हैं।

पश्चिम

प्रतिषिद्ध क्षेत्र का पश्चिमी भाग पूर्णतः आवासीय है।

ख. विनियमित क्षेत्र

उत्तर

विनियमित क्षेत्र के उत्तरी भाग में संकरी गलियों वाले घनी आबादी वाले आवासीय मोहल्ले हैं। इस क्षेत्र में नूर- उल - उरोम नामक एक मदरसा मौजूद है। एक कब्रिस्तान जिसे आरज़ी के नाम से जाना जाता है पास में ही कब्रिस्तान स्थित है।

पूर्व और उत्तर-पूर्व

विनियमित क्षेत्र का पूर्वी और उत्तर पूर्वी भाग मुख्य रूप से आवासीय है, जिसमें कश्मीरी मोहल्ला रोड के साथ एक वाणिज्यिक खंड चलता है। इस सड़क के किनारे, रोज़ा ए

सरकारे सहित कई धार्मिक संरचनाएँ हैं हुसैनी और पंजलानी मस्जिद। इस क्षेत्र में न्यू आइडियल मोंटेसरी स्कूल नामक एक स्कूल है जो इसके विविध चरित्र में योगदान दे रहा है।

<u>दक्षिण पूर्व</u>

विनियमित क्षेत्र के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में घनी आबादी वाला आवासीय क्षेत्र है, जिसमें दो धार्मिक संरचनाएँ हैं: मासूमिया मस्जिद और बाग-वली मस्जिद। यहां एक पंपिंग स्टेशन है जो कश्मीरी मोहल्ले के लोगों की जरूरतों को पूरा करता है ।

<u>दक्षिण</u>

विनियमित क्षेत्र के दक्षिणी हिस्से में आवासीय, वाणिज्यिक और मिश्रित उपयोग वाले विकास का मिश्रण है। छोटे के साथ एक व्यावसायिक विस्तार है साहब आलम रोड, जो काज़ -मेन की ओर जाती है। इस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रतिष्ठानों में तंबाकू उत्पादों में विशेषज्ञता वाली संजय जर्दा फैक्ट्री और एक इलेक्ट्रिक कार्यालय शामिल हैं।

<u>पश्चिम और उत्तर-पश्चिम</u>

विनियमित क्षेत्र में उत्तर पश्चिम और पश्चिम की ओर मुख्य रूप से आवासीय क्षेत्र है जिसमें संकरी गलियां हैं। मुगल साहब इमामबाड़ा के साथ मुगल साहब इमामबाड़ा मस्जिद एक दूसरे के करीब स्थित है। ये संरचनाएं वास्तुकला की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को बढ़ाती हैं।

5.2.3 हरे/खुले स्थान का विवरण

यह क्षेत्र अनेक खुले स्थानों से घिरा हुआ है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशिष्ट विशेषताएं और उद्देश्य हैं, जो आसपास के समृद्ध सांस्कृतिक ताने-बाने में योगदान करते हैं। ये खुले स्थान सांस्कृतिक परिदृश्य के महत्वपूर्ण घटकों के रूप में कार्य करते हैं।

वहां एक खुली जगह है जिसे स्थानीय लोग इमली के नाम से जानते हैं का प्रतिषिद्ध क्षेत्र के उत्तरी भाग में मैदान जो विभिन्न गतिविधियों और सभाओं के लिए एक सामुदायिक स्थान प्रदान करता है।

इन खुले स्थानों का चरित्र उल्लेखनीय विविधता प्रदर्शित करता है, जो आसपास के जटिल इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। कुछ क्षेत्रों में, घनी वनस्पति और ऊंचे पेड़ एक हरा-भरा और शांत वातावरण बनाते हैं, जो शहरी हलचल से राहत प्रदान करते हैं।

5.2.4 परिसंचरण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र - सड़क, फुटपाथ आदि।

मोटर चालित वाहनों द्वारा इस केंद्रीय संरक्षित स्मारक तक पहुंच समीपवर्ती/सटी हुई मुख्य सड़क, जिसे दरगाह हज़रत अब्बास रोड के नाम से जाना जाता है, के माध्यम से सुगम बनाया गया है। हज़रत अब्बास रोड, जो उत्तर-पश्चिमी दिशा में चलती है। यह मुख्य सड़क एक महत्वपूर्ण परिवहन लिंक के रूप में कार्य करती है, जो स्मारक को दो प्रमुख राज्य राजमार्गों के माध्यम से शहर से जोड़ती है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करती है।

दरगाह के उत्तरी छोर पर हज़रत अब्बास रोड, यह निर्बाध रूप से राज्य राजमार्ग - 25 से जुड़ता है, जिससे लखनऊ से जिला हरदोई तक सीधा संबंध स्थापित होता है। यह

राज्य राजमार्ग क्षेत्रीय पहुंच और कनेक्टिविटी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

दरगाह हज़रत अब्बास रोड के दक्षिणी छोर पर, यह राज्य राजमार्ग - 40 के साथ मिलती है, जो लखनऊ को इटावा से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण नाली के रूप में कार्य करती है । यह कनेक्शन क्षेत्रीय परिवहन में महत्वपूर्ण योगदान देता है और पड़ोसी क्षेत्रों में यात्रा की सुविधा प्रदान करता है।

दक्षिण-पूर्वी दिशा में कलेक्टर सड़कें और संकरी गलियां (जिन्हें स्थानीय रूप से " गली " कहा जाता है) हैं, जो ऐतिहासिक शहरी ढांचे के भीतर उप-धमनी सड़कों से जुड़ती हैं। ये छोटी सड़कें और गलियाँ मुख्य रूप से घने शहरी संदर्भ में स्थानीयकृत आवाजाही का काम करती हैं।

5.2.5 इमारत की मौजूदा ऊंचाई

निर्दिष्ट 100 मीटर प्रतिषिद्ध क्षेत्र में, इमारत की ऊंचाई आमतौर पर एक से पांच मंजिल के बीच भिन्न होती है । प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर सबसे ऊंची संरचना **रौज़-ए-फ़ातमैन है** , जो लगभग 20.10 मीटर ऊंची है। मुख्य रूप से प्रतिषिद्ध क्षेत्र में इमारतें आवासीय हैं, जिनमें से अधिकांश की ऊंचाई एक से तीन मंजिल तक है, हालांकि कभी-कभी अपवाद भी होते हैं।
अनुलग्नक IV देखें

- **पूर्व:** भवन की ऊंचाई 7 मीटर से 15 मीटर तक है।
- **दक्षिण-पूर्व:** भवन की ऊंचाई 4 मीटर से 12 मीटर तक है।
- **पश्चिम:** भवन की ऊंचाई 4 मीटर से 12 मीटर तक है।
- **उत्तर-पश्चिम:** भवन की ऊंचाई 4 मीटर से 9 मीटर तक है।
- **उत्तर:** भवन की ऊंचाई 4 मीटर से 9 मीटर तक है।
- **दक्षिण:** भवन की ऊंचाई 7 मीटर से 20 मीटर तक है।

5.2.6 स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा राज्य संरक्षित स्मारक(स्मारकों) और सूचीबद्ध विरासत भवन, यदि प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के भीतर उपलब्ध हैं

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के भीतर स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा कोई राज्य संरक्षित स्मारक और सूचीबद्ध विरासत भवन उपलब्ध नहीं हैं। हालाँकि, दो अन्य केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारक हैं, अर्थात् काज़ मुख्य इमारतें और दैनुत्-उद-दौला का कर्बला निकटता में लेकिन विनियमित सीमा से परे स्थित है।

5.2.7 सार्वजनिक सुविधाएं

- **शौचालय और स्वच्छता सुविधाएं**
  वर्तमान में स्मारक की संरक्षित सीमा पर शौचालय की कोई सुविधा नहीं है।
- **पेयजल सुविधाएँ:**
  संरक्षित क्षेत्र के भीतर दो पेयजल कियोस्क हैं। एक दरगाह भवन के केंद्रीय प्रांगण में स्थित है, जबकि दूसरा परिसर की चारदीवारी से सटा हुआ एक नवनिर्मित कियोस्क है।

- **सूचना केंद्र और साइनेज:**
  चूंकि स्मारक में स्थानीय निवासी अपने दैनिक धार्मिक अनुष्ठानों और प्रथाओं के लिए प्रमुख रूप से आते हैं, इसलिए सूचना केंद्र की आवश्यकता न्यूनतम है। साइनेज और वर्णनात्मक पैनल उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

- **सार्वभौमिक पहुंच:**
  विकलांग आगंतुकों को समायोजित करने के लिए सार्वभौमिक पहुंच और बाधा मुक्त वातावरण जैसे रैंप, स्पर्श पथ और सुलभ शौचालय प्रदान किए जाने चाहिए।

5.2.8 स्मारक तक पहुंच

दरगाह हज़रत अब्बास पुराने लखनऊ में सादत गंज मुहल्ला के घनी आबादी वाले ऐतिहासिक क्षेत्र में प्रमुख रूप से स्थित है। मोटर चालित वाहनों द्वारा इस केंद्रीय संरक्षित स्मारक तक पहुंच समीपवर्ती/सटी हुई मुख्य सड़क, जिसे दरगाह के नाम से जाना जाता है, के माध्यम से सुगम बनाया गया है। हज़रत अब्बास रोड, जो उत्तर-पश्चिमी दिशा में जाती है। यह मुख्य सड़क एक महत्वपूर्ण परिवहन लिंक के रूप में कार्य करती है, जो स्मारक को दो प्रमुख राज्य राजमार्गों के माध्यम से शहर से जोड़ती है, जो बदले में, राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करती है।

5.2.9 अवसंरचना सेवाएँ (जल आपूर्ति, वर्षा जल निकासी, सीवेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पार्किंग आदि):

स्मारक के संरक्षित, प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में जल आपूर्ति, वर्षा जल निकासी, सीवेज आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन इन्हें उन्नत करने की आवश्यकता है। स्मारक के आगंतुकों के लिए कोई निर्दिष्ट पार्किंग स्थान उपलब्ध नहीं कराया गया है।

5.2.10 स्थानीय निकायों के दिशानिर्देशों के अनुसार क्षेत्र की प्रस्तावित ज़ोनिंग:

लखनऊ मास्टर प्लान 2031, धारा 8.11.11 के अनुसार, लखनऊ विकास क्षेत्र को 31 विनियमन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है**(अनुलग्नक VII)**। दरगाह का स्थान हजरत अब्बास, जोनल प्लान के **जोन 13** के अंतर्गत आता है। ये विनियमन क्षेत्र आम तौर पर सजातीय क्षेत्र की मुख्य सड़कों की सीमा तक ही सीमित होते हैं । मास्टर प्लान 2031 के अनुसार अलग–अलग विनियमन क्षेत्रों की विस्तृत विकास योजनाओं के प्रस्ताव अभी तैयार नहीं किए गए हैं।

अनुलग्नक-VII देखें

अध्याय VI

स्मारक का स्थापत्य, ऐतिहासिक और पुरातात्विक मूल्य।

6.1 स्मारक का स्थापत्य, ऐतिहासिक और पुरातात्विक मूल्य।

दरगाह हज़रत अब्बास लखनऊ में ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों महत्व रखते हैं, खासकर इस्लाम और शिया परंपरा के संदर्भ में।

ऐतिहासिक महत्व : दरगाह (मंदिर) हज़रत अब्बास को समर्पित है, जिन्हें हज़रत अब्बास अलमदार के नाम से भी जाना जाता है, जो इमाम हुसैन के बेटे थे। हज़रत अब्बास को 680 ई. में कर्बला की लड़ाई के दौरान उनकी अटूट निष्ठा, बहादुरी और बलिदान के लिए सम्मानित किया जाता है। कर्बला की लड़ाई इस्लामी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसमें इसमें पैगंबर मुहम्मद के पोते इमाम हुसैन, उनके परिवार के कई सदस्यों और साथियों की शहादत हुई थी। ऐसा माना जाता है कि हज़रत अब्बास ने लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, संख्या में कम होने और भारी कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद इमाम के शिविर के प्यासे बच्चों और महिलाओं की रक्षा की और उन्हें पानी उपलब्ध कराया। उनका बलिदान विपरीत परिस्थितियों में निस्वार्थता, भक्ति और साहस के मूल्यों का उदाहरण देता है।

धार्मिक महत्व : शिया मुसलमानों के लिए, दरगाह हज़रत अब्बास अत्यधिक धार्मिक महत्व रखते हैं। दरगाह हज़रत अब्बास और कर्बला की घटनाओं के लिए श्रद्धा और स्मरण के स्थान के रूप में कार्य करती है । भक्त आध्यात्मिक सांत्वना पाने के लिए दरगाह पर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और हज़रत अब्बास के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। यह मंदिर इस्लामी महीने मुहर्रम के दसवें दिन, आशूरा के वार्षिक स्मरणोत्सव के दौरान विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है , जो कर्बला की लड़ाई के चरमोत्कर्ष का प्रतीक है। इस अवधि के दौरान, शिया मुसलमान इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत का सम्मान करने के लिए शोक अनुष्ठान करते हैं।

दरगाह हज़रत अब्बास शिया मुसलमानों के बीच धार्मिक समारोहों और सामुदायिक संबंधों दोनों के लिए केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां विश्वासी अपना दुख व्यक्त करने के लिए एक साथ आते हैं, इस्लाम के पवित्र लोगों के बलिदान को याद करते हैं और उनकी दृढ़ता से प्रेरणा लेते हैं।

लखनऊ में दरगाह न केवल एक धार्मिक स्थल के रूप में बल्कि एक सांस्कृतिक स्थल के रूप में भी कार्य करती है जो शहर के समृद्ध इतिहास और शिया समुदाय के योगदान को दर्शाती है। दरगाह की वास्तुकला और डिज़ाइन में अक्सर मुगल और इस्लामी कला के तत्व प्रदर्शित होते हैं, जिससे श्रद्धा और चिंतन का माहौल बनता है।

स्थापत्य मूल्य:

प्रवेश द्वार का वास्तुशिल्प महत्व: प्रवेश द्वार वास्तुशिल्प शैलियों के मिश्रण का एक शानदार प्रमाण है, जो नुकीले मेहराबों, मल्टी-फ़ॉइल्ड मेहराबों, पेडिमेंट्स, डबल-ऊंचाई वाले प्रवेश द्वारों और कॉर्निस के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण को प्रदर्शित करता है जो प्रवेश द्वार के शीर्ष पर चलते हैं। यह वास्तुशिल्प उत्कृष्ट कृति संरचनात्मक रूप से कार्यात्मक प्रवेश द्वार और कला के काम दोनों के रूप में कार्य करती है, जो अपनी भव्यता और सुंदरता के साथ आगंतुकों का स्वागत करती है।

आंगन का वास्तुशिल्प महत्व: यह आंगन वास्तुशिल्प तत्वों का एक उत्कृष्ट मिश्रण है जो एक आकर्षक और सामंजस्यपूर्ण स्थान बनाने के लिए मिलकर बनता है। यह शिल्प कौशल और कलात्मक दृष्टि का एक प्रमाण है जो समय और संस्कृति से परे है, भव्यता और शांति की भावना पैदा करता है।

- इस प्रांगण का केंद्रीय केंद्र राजसी स्तंभ है जो इसे घेरे हुए है।
- आर्केड अर्धवृत्ताकार मेहराबों से बना है, प्रत्येक सुंदर ढंग से उठता है और फिर अपने साथ के मेहराबों से मिलने के लिए धीरे से मुड़ता है।
- अर्धवृत्ताकार मेहराबों के फैलाव के भीतर, जटिल मल्टीफ़ॉइल्ड मेहराब राहत कार्य प्रमुखता से प्रदर्शित होता है। यहां अन्य प्रमुख वास्तुशिल्प तत्व हैं जैसे सजावटी स्तंभ, पैरापेट और प्रत्येक कोने पर रखी गई चार छोटी मीनारें हैं।

पुरातात्विक महत्व : यह ध्यान दिया जा सकता है कि स्थल पर अभी तक कोई ज्ञात पुरातात्विक अवशेष नहीं मिला है। हालाँकि, मस्जिद, इमामबाड़े और कब्रें जैसी पवित्र इमारतें हैं, जिन्हें स्थानीय तौर पर मज़ार कहा जाता है। ये धार्मिक संरचनाएं सांस्कृतिक परिदृश्य के अभिन्न अंग हैं, जो आध्यात्मिक महत्व और ऐतिहासिक प्रासंगिकता के साथ प्रतिध्वनित होती हैं। उनकी उपस्थिति पुरानी आवासीय सेटिंग में महत्वपूर्ण वास्तुकला और सांस्कृतिक प्रवाह का संकेत देती है।

6.2 स्मारक की संवेदनशीलता (जैसे, विकासात्मक दबाव, शहरीकरण, जनसंख्या दबाव, आदि):

स्मारक लगातार विकास के दबाव के कारण खुद को महत्वपूर्ण खतरे में पाता है, जो शुरू हो गया है।

दरगाह हज़रत अब्बास के उत्तर-पश्चिम दिशा में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र कई महत्वपूर्ण संरचनाओं का घर हैं जो संरक्षित स्मारकों के सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देने में अभिन्न भूमिका निभाते हैं। इन संरचनाओं में दरगाह भी शामिल है हजरत सैयद बाबा, दरीवाली मस्जिद, पुरानी मजार, इमली मैदान और मस्जिद इमाम-ए-जमाना। हालाँकि, इन क्षेत्रों की मौजूदा स्थिति विकास के दबाव के प्रति अधिक संवेदनशील है। इनमें से कुछ स्थलों और उनके आसपास के इलाकों का उपयोग कचरा डंपिंग ग्राउंड के रूप में किया जा रहा है, जो उनके संरक्षण के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करता है।

6.3 संरक्षित स्मारक/क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता:

दरगाह हजरत अब्बास को प्रतिषिद्ध और विनियमित दोनों क्षेत्रों से दृश्यता के मामले में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि स्मारक लखनऊ शहर के केंद्र में रुस्तम नगर के घनी आबादी वाले कश्मीरी मोहल्ले में एक अद्वितीय स्थान पर है। शहरी परिदृश्य के भीतर इसकी रणनीतिक स्थिति, जो संकरी गलियों और उच्च-घनत्व वाली इमारत के पदचिह्न की विशेषता है, के परिणामस्वरूप समय के साथ महत्वपूर्ण विकास दबाव पैदा हुआ है। इसके परिणामस्वरूप दरगाह की दृश्यता प्रतिषिद्ध और विनियमित दोनों क्षेत्रों से सीमित हैं।

अत्यधिक भीड–भाड़ वाले विनियमित क्षेत्र के भीतरआसपास के शहरी विकास के कारण स्मारक की दृश्यता विशेष रूप से बाधित है। शहरी लेआउट की पेचीदगियों के साथ-साथ कई घनी इमारतों की उपस्थिति के कारण, दरगाह का स्पष्ट दृश्य देखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। हालाँकि, इन बाधाओं के बावजूद, स्मारक को अभी भी प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर निकटवर्ती सड़क से देखा जा सकता है।

दरगाह के स्मारक से दृश्यता हज़रत अब्बास स्मारक की विशाल सीमा के कारण छोटा प्रतीत होता है जो निकटवर्ती आवासीय भवनों से दृश्य कनेक्शन की अनुमति देता है जो ऊंचाई में जी + 1 से अधिक हैं।

6.4 भूमि-उपयोग की पहचान की जाएगी:

भूमि उपयोग लखनऊ मास्टरप्लान 2031 के अनुसार भूमि उपयोग को आवासीय (आवासीय) के रूप में पहचाना गया है और इसे **अनुबंध-VI** में संदर्भित किया जा सकता है।

6.5 संरक्षित स्मारकों के अलावा पुरातात्विक धरोहर:

स्मारक के पास कोई ज्ञात पुरातात्विक विरासत के अवशेष मौजूद नहीं हैं। किसी पुरातात्विक अवशेष का पता लगाने के लिए आगे की जांच की आवश्यकता हो सकती है।

6.6 सांस्कृतिक परिदृश्य:

दरगाह के प्रतिष्ठित स्थल के आसपास का सांस्कृतिक परिदृश्य हज़रत अब्बास भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तत्वों से समृद्ध रूप से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है, जो घनी आबादी वाले आवासीय क्षेत्र के केंद्र में इस्लामी संस्कृति के गहरे प्रभाव को दर्शाती है। इतिहास और आस्था के साथ गहराई से जुड़ा हुआ यह सांस्कृतिक परिदृश्य, इस संरक्षित स्मारक के आसपास के वातावरण को वास्तव में अद्वितीय और जीवंत तरीके से आकार देता है।

<u>भौतिक तत्व:</u>

दरगाह हज़रत अब्बास: इस सांस्कृतिक परिदृश्य के केंद्र में शानदार दरगाह हज़रत अब्बास है जो हज़रत अब्बास को समर्पित एक तीर्थस्थल है। इसकी वास्तुशिल्प भव्यता, जटिल डिजाइन और बेहतरीन शिल्प कौशल की विशेषता, आध्यात्मिक भक्ति और ऐतिहासिक महत्व के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करती है।

रौजा और मजार : दरगाह से सटे रौजा (मकबरा) और मजार (मकबरा) इस सांस्कृतिक टेपेस्ट्री के अभिन्न अंग हैं। वे प्रतिष्ठित धार्मिक हस्तियों के अंतिम विश्राम स्थल के रूप में प्रतिष्ठित हैं , जो तीर्थयात्रियों और भक्तों को आशीर्वाद और सांत्वना देने के लिए आकर्षित करते हैं।

मस्जिदें: मस्जिदें पूरे परिदृश्य में फैली हुई हैं, जो सामूहिक प्रार्थना और सामुदायिक समारोहों के स्थानों के रूप में काम करती हैं। वे न केवल धार्मिक कार्यों को पूरा करती हैं बल्कि प्रत्येक अपने अद्वितीय डिजाइन और ऐतिहासिक संदर्भ के साथ वास्तुशिल्प चमत्कार के रूप में भी खड़ी हैं।

कब्रें: दरगाह के चारों ओर ऐतिहासिक महत्व के व्यक्तियों की स्मृति में कब्रें हैं। ये कब्रें अपनी विशिष्ट वास्तुकला और शिलालेखों के साथ परिदृश्य की ऐतिहासिक समृद्धि में योगदान करती हैं।

मदरसे और इस्लामिक केंद्र: मदरसे और इस्लामिक केंद्र जैसे शैक्षणिक संस्थान धार्मिक शिक्षा प्रदान करने और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। वे समुदाय के भीतर बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं।

<u>सामाजिक तत्व:</u>

दैनिक अनुष्ठान: दैनिक अनुष्ठानों से सांस्कृतिक परिदृश्य जीवंत हो जाता है, क्योंकि भक्त और निवासी दरगाह और आसपास के धार्मिक स्थलों पर प्रार्थना करने, मोमबत्तियाँ जलाने और धर्मपरायणता के कार्यों में शामिल होने के लिए जाते हैं। ये अनुष्ठान अतीत के साथ निरंतरता और जुड़ाव की भावना पैदा करते हैं।

सांप्रदायिक सभाएँ: दरगाह और उसके आसपास सांप्रदायिक सभाओं के लिए केंद्रीय नोड के रूप में काम करते हैं। त्यौहार और धार्मिक आयोजन लोगों को एक साथ लाते हैं, समुदाय के सदस्यों के बीच एकता और साझा पहचान की भावना को बढ़ावा देते हैं।

बातचीत और आदान-प्रदान: सांस्कृतिक परिदृश्य विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के बीच बातचीत और आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है, जिससे सांस्कृतिक विविधता और सहिष्णुता को बढ़ावा मिलता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्ति एक सामान्य आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक साथ आते हैं।

<u>आध्यात्मिक तत्व:</u>

पवित्र वातावरण: सांस्कृतिक परिदृश्य धूप की सुगंध, प्रार्थनाओं की ध्वनि और भक्ति में तीर्थयात्रियों की दृष्टि के साथ एक पवित्र वातावरण का अनुभव करता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां आध्यात्मिक और सांसारिक क्षेत्र विलीन हो जाते हैं, जिससे चिंतन और श्रद्धा के लिए अनुकूल वातावरण बनता है।

आस्था और विश्वास: आस्था और विश्वास इस सांस्कृतिक परिदृश्य के मूल में हैं। स्मारक और धार्मिक संरचनाएँ धार्मिक विश्वासों की स्थायी ताकत और क्षेत्र में आने और रहने वाले लोगों के जीवन को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

संक्षेप में दरगाह हज़रत अब्बास के आसपास का सांस्कृतिक परिदृश्य इस्लामी संस्कृति, इतिहास और आस्था की समृद्ध टेपेस्ट्री का एक जीवन्त प्रमाण हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां भौतिक संरचनाएं, सामाजिक संपर्क और आध्यात्मिक तत्व मिलकर एक जीवंत और सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाते हैं। यह परिदृश्य न केवल अतीत की विरासत को संरक्षित करता है बल्कि उन लोगों के जीवन का एक गतिशील और सार्थक हिस्सा भी है जो इसे अपना घर कहते हैं।

6.7 महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य जो सांस्कृतिक परिदृश्य का हिस्सा बनते हैं और स्मारक को पर्यावरण प्रदूषण से बचाने में भी मदद करते हैं

स्मारक आधुनिक निर्माणों से घिरा हुआ है, इसलिए वर्तमान में कोई महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य मौजूद नहीं है।

6.8 खुली जगह और निर्माण का उपयोग:

दरगाह के आसपास प्रतिषिद्ध और प्रतिबंधित क्षेत्रों के भीतर मौजूदा खुले स्थान हज़रत अब्बास सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पर्यावरणीय महत्व के सूक्ष्म जगत का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये स्थान, विविध कार्य करते हुए और प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक भक्ति के मिश्रण को दर्शाते हुए मानव विरासत की जटिल परस्पर क्रिया और आधुनिक चुनौतियों के सामने सतर्क संरक्षण की आवश्यकता के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। यह क्षेत्र अनेक खुले स्थानों से घिरा हुआ है जिनमें से

प्रत्येक की अपनी विशिष्ट विशेषताएं और उद्देश्य हैं जो आसपास के समृद्ध सांस्कृतिक ताने-बाने में योगदान करते हैं। ये खुले स्थान सांस्कृतिक परिदृश्य के महत्वपूर्ण घटकों के रूप में कार्य करते हैं।

इन खुले स्थानों का अधिकांश हिस्सा प्रमुख रूप से पार्किंग ग्राउंड, आसपास की वाहन संबंधी जरूरतों को पूरा करता है जबकि इनमें से कुछ खुले स्थान प्राकृतिक सीमाओं के रूप में काम करते हैं, जो प्रतिबंधित क्षेत्रों की सीमाओं को परिभाषित करते हैं। इस प्रकार उनके ऐतिहासिक और पर्यावरणीय महत्व को संरक्षित करते हैं।

6.9 पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ

सर्वेक्षण किए गए क्षेत्र के भीतर देखी गई पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ इस प्रकार थीं:

इस इलाके में सबसे प्रमुख पारंपरिक कला रूपों में से एक जरदोज़ी और चिकनकारी के काम की जटिल शिल्प कौशल है। ये कुशल कारीगर पूरे सर्वेक्षण क्षेत्र में परिश्रमपूर्वक अपनी कला बुनते हुए पाए जा सकते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि स्मारक की संरक्षित सीमाओं के भीतर और दरगाह के परिसर के भीतर भी स्वयं इन कारीगरों के पास एक कार्य केंद्र है।

इस क्षेत्र में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मुहर्रम सबसे महत्वपूर्ण है। दरगाह की नींव और अस्तित्व कर्बला की दुखद घटनाओं की स्मृति से गहराई से जुड़ा हुआ है जो सीधे तौर पर मुहर्रम से जुड़ा हुआ है। दूर-दूर से लाखों लोग दरगाह हज़रत अब्बास पर मत्था टेकने के लिए जुटते हैं।

महत्वपूर्ण अनुष्ठानों और आयोजनों में सबसे उल्लेखनीय में से एक पवित्र आलम के नेतृत्व में भव्य जुलूस है जो महान श्रद्धा का प्रतीक है और आध्यात्मिक यात्रा पर विश्वासियों का मार्गदर्शन करता है और इसमें भाग लेने वाले या देखने वाले सभी लोगों के लिए एक यादगार और प्रेरक अनुभव बनाता है।

मुहर्रम के अलावा धार्मिक सभाएँ जिन्हें स्थानीय रूप से "तकरीर" कहा जाता है, क्षेत्र की स्थापना के बाद से एक पारंपरिक प्रथा रही है। इन सभाओं में देश भर के विभिन्न इस्लामी विद्वानों द्वारा उपदेश और धार्मिक शिक्षाएँ दी जाती हैं। इस प्रथा की गहरी ऐतिहासिक जड़ें हैं और यह एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गतिविधि बनी हुई है जो निवासियों और आगंतुकों के बीच एकता और समुदाय की भावना को बढ़ावा देती है।

6.10 स्मारक और विनियमित क्षेत्र से दृश्यमान क्षितिज

दृश्यमान क्षितिज अलग-अलग ऊंचाई की आवासीय संरचनाओं का मिश्रण है, जो भूतल से लेकर तीन मंजिल ऊंची (जी से जी+3) तक है जिसमें किसी भी विशिष्ट वास्तुशिल्प विशेषताओं का अभाव है और जो आमतौर पर एक क्षितिज को परिभाषित करते हैं। इसके बजाय यह शहरी जीवन की विविधता और विकास का प्रदर्शन है।

आवासीय भवनों के बीच में मीनारों और गुंबदों की उपस्थिति से क्षितिज को विराम मिलता है, धार्मिक संरचनाओं की उपस्थिति एक अद्वितीय और विशिष्ट स्पर्श जोड़ती है। इनमें से एक दरगाह के पूर्वी हिस्से में महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है हज़रत अब्बास रौज़ा-ए-फ़ातमैन हैं। इन संरचनाओं की विशेषता उनकी ऊंची मीनारें और उनके गुंबद हैं जो क्षितिज का ताज बनाते हैं। उनकी उपस्थिति क्षेत्र में आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक महत्व की भावना प्रदान करती है, जिससे वे अन्यथा सादे क्षितिज में प्रमुख विशेषताएं बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ पुराने पेड़ों की

उपस्थिति क्षितिज के शहरी ढांचे के साथ विरोधाभास पैदा करती है। ये पुराने ऊँचे और पत्तेदार पेड़ समय बीतने और शहर के लगातार बदलते परिदृश्य के गवाह के रूप में खड़े हैं। दरगाह से देखने पर ये पेड़ क्षितिज में प्राकृतिक विशेषताओं और मानव विकास का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण बनाते हैं।

6.11 पारंपरिक वास्तुकला

पुरानी मस्जिद, मजार, रौज़ा आदि जैसी धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण इमारतों के अलावा प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों के आवासीय क्षेत्र के भीतर अधिकांश संरचनाओं का समय के साथ पुनर्निर्माण या आधुनिकीकरण हुआ है। कश्मीरी मोहल्ले और रुस्तम नगर के आसपास इलाकों में कुछ निर्माण पारंपरिक वास्तुकला के उदाहरण पेश करते हैं। ये निर्मित इमारतें निजी स्वामित्व वाली आवासीय संपत्तियां हैं जिनका निर्माण स्थानीय स्तर पर प्राप्त सामग्रियों का उपयोग करके किया गया है। उनका स्थानीय लेआउट जलवायु के अनुरूप डिज़ाइन किया गया है और वे अवध वास्तुकला की विशिष्ट विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं।

6.12 स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा विकास योजना, जैसा उपलब्ध हो,

प्राधिकारियों द्वारा अलग-अलग विनियमन क्षेत्रों की विस्तृत क्षेत्रीय विकास योजनाएं अभी तक तैयार नहीं की गई हैं। **(अनुलग्नक -VII देखें)**

6.13 भवन संबंधी पैरामीटर:

<u>प्रतिषिद्ध क्षेत्र:</u>

एएमएएसआर अधिनियम के अनुसार केंद्रीय संरक्षित स्मारक की अधिसूचित संरक्षित सीमा से 100 मीटर के दायरे में किसी भी नए निर्माण की अनुमति नहीं होगी।

<u>मरम्मत और नवीनीकरण:</u> आंतरिक परिवर्तन और अनुकूली पुन: उपयोग की आमतौर पर अनुमति दी जा सकती है, हालांकि, बाहरी परिवर्तन सक्षम प्राधिकारी से जांच और अनुमति के अधीन होंगे। इन परिवर्तनों में रेट्रोफिटिंग/नवीनीकरण शामिल हो सकता है जिसकी अनुमति तब दी जा सकती है जब इमारत संरचनात्मक रूप से कमजोर या असुरक्षित हो या जब यह किसी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हो और नवीकरण नितान्त आवश्यक हो।

निर्मित/खुले संबंधों के साथ-साथ मूल भवन शब्दावली और भवन आयोजना का पालन किया जाना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी से अनुमति के अधीन इमारतों की सामान्य मरम्मत और रखरखाव की अनुमति दी जाएगी।

संरचनाओं की मरम्मत और नवीनीकरण आस-पास के क्षेत्रों की धरोहर विशेषताओं के साथ मेल-खाता और उसके अनुरूप होना चाहिए। एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेशर लैमिनेट्स (एचपीएल), लैमिनेट्स, टाइलिंग आदि या ग्लेज़िंग जैसी नई क्लैडिंग सामग्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।

<u>पुनर्निर्माण</u>:

पुनर्निर्माण को एएमएएसआर अधिनियम, 1958 की धारा 2 (त) में परिभाषित किया गया है, विनियमित क्षेत्र में निर्माण की अनुमति एएमएएसआर अधिनियम, 1958 की धारा 20ग (2) और एएमएएसआर नियम, 2011 के नियम 6(IV) और नियम 7 के अनुसार दी गई है। प्राकृतिक आपदाओं के मामले में पुनर्निर्माण की अनुमति एएमएएसआर नियम, 2011 के नियम 16 के अनुसार दी जाती है। पुनर्निर्माण के

मामले में पुरानी इमारत के प्रतिस्थापन के रूप में नई संरचना या इमारत को पहले से मौजूद संरचना के अनुसार उसी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सीमाओं का पालन करना होगा। अग्रभाग में असंगत सामग्री जैसे ग्लेज़िंग, मेटल क्लैडिंग, एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेशर लैमिनेट्स (एचपीएल), टाइल्स, लैमिनेट्स आदि के उपयोग की अनुमति नहीं है। नई संरचना आसपास के क्षेत्र के विरासत स्वरूप के साथ मेल खाती और उसके अनुरूप होनी चाहिए।

<u>विनियमित क्षेत्र</u> -

1. **स्थल पर निर्माण की ऊंचाई:** नए विकास या मौजूदा इमारतों में परिवर्धन के लिए कुल ऊंचाई सीमा **12.5 मीटर** (पैरापेट, ममटी या छत पर कोई अन्य सेवा सहित) से अधिक नहीं होगी। क्षेत्र में बेसमेंट के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. **तलक्षेत्र:** भूखंड के आकार और अनुमेय तलक्षेत्र अनुपात के अनुसार।
3. **उपयोग:** कुछ वाणिज्यिक और मिश्रित उपयोग वाली गतिविधियों के साथ आवासीय विशेषता को भविष्य में भी बनाए रखा जाना चाहिए।
4. **अग्रभाग डिजाइन:** स्मारक की वास्तुशिल्प विशेषताएं प्रतिष्ठित हैं और एक बड़े पैमाने की संरचना को दर्शाती हैं, इसका प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में आवासीय या छोटे पैमाने के निर्माण पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। इसलिए नए निर्माण के अग्रभाग का डिज़ाइन प्रकृति में न्यूनतम होना चाहिए, ताकि यह स्मारक पर हावी न हो।
5. **छत का डिज़ाइन:** सपाट छत के डिज़ाइन का पालन किया जाना चाहिए।
6. **भवन निर्माण सामग्री:** निर्माण के लिए आधुनिक निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। हालाँकि, बाहरी अग्रभाग के लिए चिनाई और पत्थर की फिनिश का उपयोग किया जाना चाहिए। आधुनिक निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा सकता है लेकिन बाहरी अग्रभाग को एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेशर लैमिनेट्स (एचपीएल), लैमिनेट्स, टाइलिंग आदि जैसी सामग्रियों से नहीं ढ़का जाना चाहिए या ग्लेज़िंग की अनुमति नहीं होगी।
7. **रंग :** बाहरी रंग तटस्थ स्वर का होगा जो स्मारक के अनुरूप होगा जैसे कि बफ़ बलुआ पत्थर का रंग, बेज और अन्य मिट्टी के रंग जो स्मारक के साथ बेमेलता पैदा नहीं करते हैं।

अध्याय VII

स्थल विशिष्ट सिफ़ारिशें

7.1 स्थल विशिष्ट सिफ़ारिशें

(i) अतिक्रमण को नियंत्रित करने के लिए मौजूदा सीमा में असंगत परिवर्धन और परिवर्तन को रोकने के लिए कड़े उपाय किए जाने चाहिए।

(ii) लखनऊ में दरगाह हज़रत अब्बास और काज़ मैन बिल्डिंग के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को संरक्षित करने के लिए एक नए विरासत क्षेत्र का सीमांकन शुरू करने की सलाह दी जाती है जिसमें ये एतिहासिक स्थल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इस विरासत क्षेत्र को औपचारिक रूप से लखनऊ मास्टर प्लान 2031 में शामिल किया जाना चाहिए।

(iii)स्थल पर प्रामाणिक ऐतिहासिक आख्यानों पर आधारित वर्णनात्मक पट्टिकाएँ भी लगाई जा सकती हैं।

(iv)ऐतिहासिक परिसर के भीतर सभी संकेत स्मारक और उसके आसपास की विशेषता के साथ संगत और सामंजस्यपूर्ण होने चाहिए।

(v) संकेतक लगाने से ऐतिहासिक ताने-बाने को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए न ही स्मारक की ऐतिहासिक विशेषता कम होनी चाहिए।

(vi)विरासत क्षेत्र के भीतर होर्डिंग, इश्तिहार के रूप में किसी भी विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(vii)किसी भी संरचनात्मक क्षति से बचाने के लिए स्मारक का नियमित रखरखाव और अनुरक्षण।

(viii)प्रवेश द्वार से रास्ते पर आवश्यक रोशनी प्रदान की जाएगी।

(ix)सड़क और प्रवेश मार्ग के बीच लेवल के अंतर को रैंप बनाकर ठीक करने की जरूरत है।

(x)चूंकि स्मारक घने इलाके में स्थित है, इसलिए भीड़भाड़ से बचने के लिए पार्क और सवारी की सुविधा प्रदान की जा सकती है।

7.2 अन्य सिफ़ारिशें

i. विरासत क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र और सीमाओं को स्थानीय क्षेत्र योजना में एकीकृत किया जा सकता है जिसे लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार और कार्यान्वित किया जाता है क्योंकि स्थानीय क्षेत्र योजना मास्टर प्लान के साथ-साथ विरासत नियमों के कार्यान्वयन के लिए एकल खिड़की ढांचा प्रदान करती है। शहरी डिज़ाइन दिशानिर्देशों के साथ लेआउट योजनाओं को स्थानीय क्षेत्र योजना स्तर पर भी शामिल किया जा सकता है।
ii. व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा सकता है।
iii. दिव्यांगों के लिए प्रावधान निर्धारित मानकों के अनुसार प्रदान किए जाएंगे।
iv. क्षेत्र को प्लास्टिक एवं पॉलिथीन मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाएगा।
v. सांस्कृतिक विरासत स्थलों और परिक्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश https://ndma.gov.in/images/guidelines/Guidelines-Cultural-Heritage.pdf पर देखे जा सकते हैं।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

In exercise of the powers conferred by section 20 E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 read with Rule (22) of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye- laws and Other Functions of the Competent Authority) Rule, 2011, the following Heritage Bye-laws for the Centrally Protected Monument The Dargah Hazrat Abbas, Saadatganj, Lucknow, Uttar Pradesh prepared by the Competent Authority, in consultation with Amity School of Architecture and Planning, Amity University, Lucknow, Uttar Pradesh, were published on 29.09.2023, as required by sub-rule (2) of Rule 18 of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, for inviting objections or suggestions from the public;

The objections/suggestions, received before the specified date have duly been considered by the National Monuments Authority in consultation with the Competent Authority.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of the Section 20 E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 the National Monuments Authority, hereby makes the following bye-laws, namely:

Heritage Bye-Laws for The Dargah Hazrat Abbas, Saadatganj, Lucknow, Uttar Pradesh

CHAPTER I

Preliminary

1.1 Short title, Extent and Commencements:

(i) These bye-laws may be called the National Monument Authority Heritage bye-laws, 2023 of Centrally Protected Monument - **The Dargah Hazrat Abbas, Saadatganj, Lucknow, Uttar Pradesh**

(ii) They shall extend to the entire prohibited and regulated area of the monuments.

(iii) The provisions of these bye-laws shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other bye-laws, whether made before or after the commencement of these bye-laws, or in any instrument having effect by virtue of any bye-laws. It shall not be obligatory to carry out amendments in these bye-laws to make them consistent with any other bye-laws.

(iv) They shall come into force with effect from the date of their publication.

1.2 Definitions:

1. In these bye-laws, unless the context otherwise requires, the definitions as given in the Act or the rules made thereunder have been reproduced hereunder for the sake of convenience: -

(a) “Ancient monument” means any structure, erection or monument, or any tumulus or place or interment, or any cave, rock sculpture, inscription or monolith, which is of historical, archaeological or artistic interest and which has been in existence for not less than one hundred years, and includes: -

(i) the remains of an ancient monument,

(ii) the site of an ancient monument,

(iii) such portion of land adjoining the site of an ancient monument as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving such monument, and

(iv) the means of access to, and convenient inspection of an ancient monument;

(b) “Archaeological site and remains” means any area which contains or is reasonably believed to contain ruins or relics of historical or archaeological importance which have been in existence for not less than one hundred years, and includes:

(i) such portion of land adjoining the area as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving it, and

(ii) the means of access to, and convenient inspection of the area;

(c) “Act” means the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958);

(d) “Archaeological officer” means an officer of the Department of Archaeology of the Government of India not lower in rank than Assistant Superintendent of Archaeology;

(e) “Authority” means the National Monuments Authority constituted under Section 20 F of the Act;

(f) “Competent authority” means an officer not below the rank of Director of archaeology or Commissioner of archaeology of the Central or State Government or equivalent rank, specified, by notification in the Official Gazette, as the competent authority by the Central Government to perform functions under this Act:

Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify different competent authorities for the purpose of section 20C, 20D and 20E;

(g) “construction” means any erection of a structure or a building, including any addition or extension thereto either vertically or horizontally, but does not include any re-construction, repair and renovation of an existing structure or building, or, construction, maintenance and cleansing of drains and drainage works and of public latrines, urinals and similar conveniences, or the construction and maintenance of works meant for providing supply of water for public, or, the construction or maintenance, extension, management for

supply and distribution of electricity to the public or provision for similar facilities for public;

(h) "Floor Area Ratio (FAR)" means the quotient obtained by dividing the total covered area (plinth area) on all floors by the area of the plot;

FAR = Total covered area of all floors divided by plot area;

(i) "Government" means the Government of India;

(j) "maintain", with its grammatical variations and cognate expressions, includes the fencing, covering in, repairing, restoring and cleansing of a protected monument, and the doing of any act which may be necessary for the purpose of preserving a protected monument or of securing convenient access thereto;

(k) "owner" includes-

(i) a joint owner invested with powers of management on behalf of himself and other joint owners and the successor-in-title of any such owner; and

(ii) any manager or trustee exercising powers of management and the successor-in-office of any such manager or trustee;

(l) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(m) "Prohibited area" means any area specified or declared to be a prohibited area under section 20A;

(n) "Protected area" means any archaeological site and remains which is declared to be of national importance by or under this Act;

(o) "Protected monument" means any ancient monument which is declared to be of national importance by or under this Act;

(p) "Regulated area" means any area specified or declared to be a regulated area under section 20B of this Act;

(q) "re-construction" means any erection of a structure or building to its pre-existing structure, having the same horizontal and vertical limits;

(r) "Repair and renovation" means alterations to a pre-existing structure or building, but shall not include construction or re-construction;

2. The words and expressions used herein and not defined shall have the same meaning as assigned in the Act or the rules made thereunder.

CHAPTER II

Background of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958

2.1 Background of the Act:

The Heritage Bye-Laws are intended to guide physical, social and economic interventions within 300m in all directions of the Centrally Protected Monuments. The three hundred meters area has been divided into two parts (i) the **Prohibited Area,** the area beginning at the limit of the Protected Area or the Protected Monument and extending to a distance of one hundred meters in all directions and (ii) the **Regulated Area**, the area beginning at the limit of the Prohibited Area and extending to a distance of two hundred meters in all directions.

As per the provisions of the Act, no person shall undertake any construction or mining operation in the Protected Area and Prohibited Area while permission for repair and renovation of any building or structure, which existed in the Prohibited Area before 16 June, 1992, or which had been subsequently constructed with the approval of Director General (DG), Archaeological Survey of India (ASI) and; permission for construction, re-construction, repair or renovation of any building or structure in the Regulated Area, must be sought from the Competent Authority.

2.2 Provision of the Act related to Heritage Bye-laws:

Section 20E of AMASR Act, 1958 and Rule 22 of Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and other functions of the Competent Authority) Rules, 2011, specifies framing of Heritage Bye-Laws for Centrally Protected Monuments. The Rule provides parameters for the preparation of Heritage Bye-Laws. Rule 18 of National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, specifies the process of approval of Heritage Bye-laws by the Authority.

2.3 Rights and Responsibilities of the Applicant:

Section 20C of AMASR Act, 1958 specifies details of application for repair and renovation in the Prohibited Area, or construction or re-construction or repair or renovation in the Regulated Area as described below:

a) Any person, who owns any building or structure, which existed in a Prohibited Area before 16th June, 1992, or, which had been subsequently constructed with the approval of the DG, ASI and desires to carry out any repair or renovation of such building or structure, may make an application to the Competent Authority for carrying out such repair and renovation as the case may be.

b) Any person, who owns or possesses any building or structure or land in any Regulated Area, and desires to carry out any construction or re-construction or repair or renovation of such building or structure on such land, as the case may be, may make an application to the Competent Authority for carrying out construction or re-construction or repair or renovation as the case may be.

c) It is the responsibility of the applicant to submit all relevant information and abide by the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011.

CHAPTER III

Location and Setting of Centrally Protected Monument - The Dargah Hazrat Abbas, Saadatganj, Lucknow, Uttar Pradesh

3.1 Location and Setting of the Monument:

The Dargah Hazrat Abbas, a centrally protected monument, is situated in Kashmiri Mohalla within Rustam Nagar in Saadatganj area of Lucknow. The geographical coordinates pinpoint its location:

Latitude: 26°51'39.26"N, **Longitude:** 80°53'39.79"E.

The road adjacent to the monument enjoys a seamless connectivity with Tulsidas Marg, a crucial thoroughfare that links several pivotal locations within the city of Lucknow. However, the final stretch also known as Dargah Hazrat Abbas Road of this connection encounters certain challenges, including bottlenecks and a narrow width, exacerbated by heavy traffic congestion.

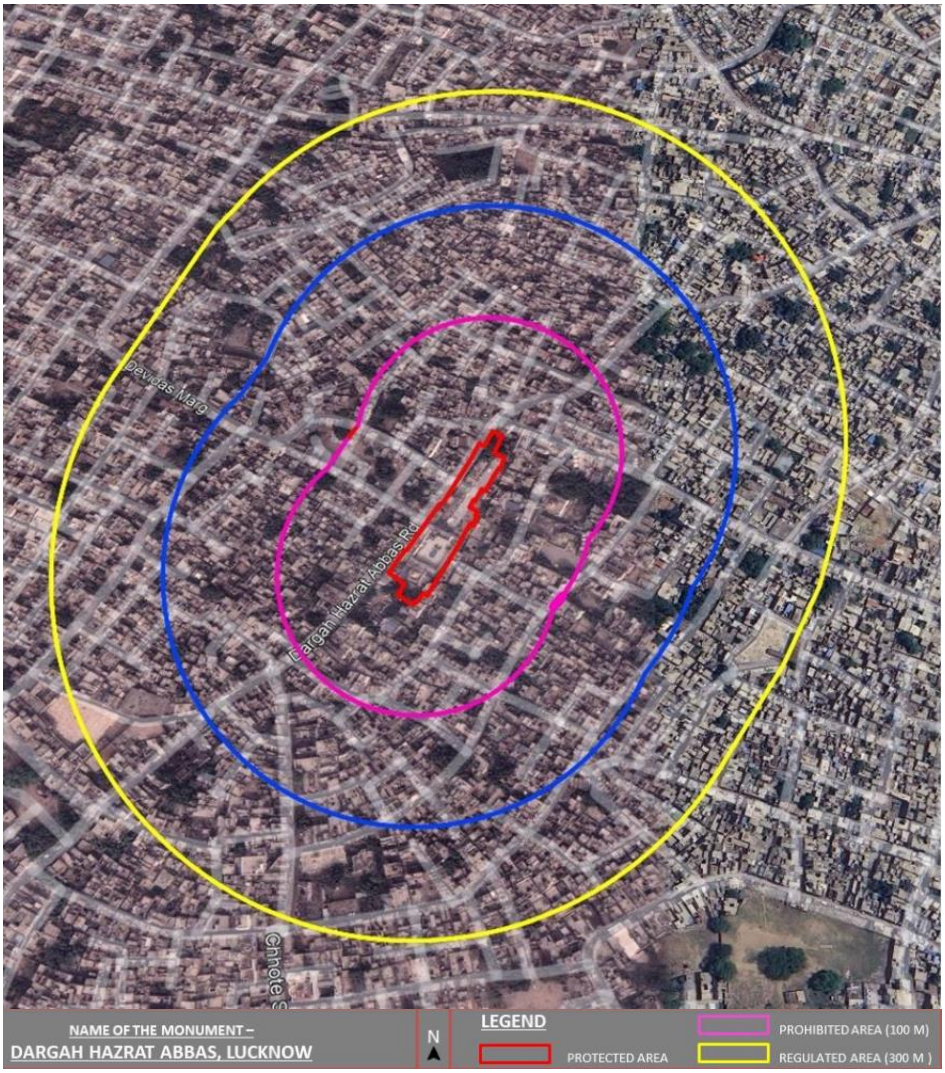

Figure 1: Google map showing location of The Dargah Hazrat Abbas along with Protected, Prohibited and Regulated Area in Saadatganj, Lucknow

This distinguished site of Dargah Hazrat Abbas finds itself surrounded primarily by a densely populated residential area. Within this context, it is situated amidst the rich and diverse Islamic cultural landscape, a tapestry woven from physical, social, and spiritual elements that collectively shape the environment around this protected monument. The structures in proximity of Dargah Hazrat Abbas, including the Rauza, Mazar, tombs, mosques, madrasas, and Islamic centres, play a significant role as central nodes for daily rituals, communal gatherings, and the imparting of religious education. It is noteworthy to mention that the two protected monuments namely, Kaz Main buildings and Karbala of Dianut- ud- Daula also lie in close vicinity.

The nearest Airport is Chaudhary Charan Singh International airport which is 13 km away from the monument and connects to all the metropolitan cities of India. The nearest Railway station is Charbagh Railway Station which is 7.3 km away from the monument.

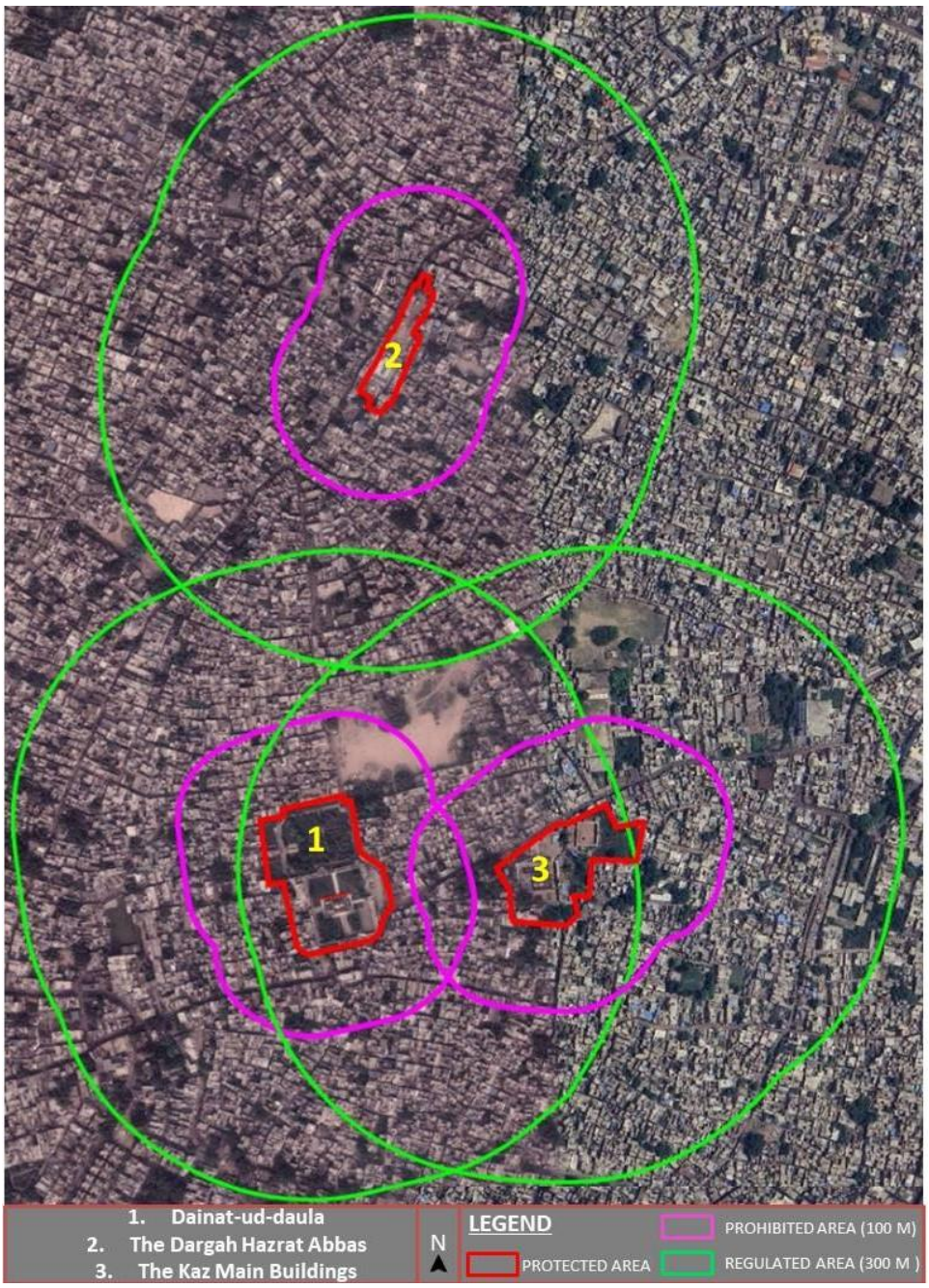

Figure 2: The protected monuments of the Dargah Hazrat Abbas along with the Karbala of Dianut- ud-Daula and Kaz Main Buildings, Lucknow

3.2 Protected boundary of the monument:

The protected boundaries of the Centrally Protected Monument – The Dargah Hazrat Abbas, Lucknow may be seen in **Annexure-I**.

3.2.1 Notification Map/ Plan as per ASI records:

The copy of Gazette Notification of The Dargah Hazrat Abbas, Lucknow may be seen in **Annexure-II.**

3.3 History of Monument

The shrine first came into existence in the period of Nawab Asaf-ud-Daula (AD 1775-97) in the form of a simple building capped by a brick dome. Nawab Saadat Ali Khan (AD 1798-1814) after fulfilling his desire as a ruler of Awadh, reconstructed the shrine with a fluted gilded dome and extended the building.

It is believed that the original *alam* (metal crest) of Hazrat Abbas was installed here in the reign of Nawab Asaf-ud-Daula. The main building of Dargah contains a raised tank, a rectangular hall with a small mosque to the right and *Shah-n-sheen* (raised platform) in the centre within an enclosure wall, accompanied by arched cells and a lofty gateway. The rectangular prayer hall has a magnificent façade of seven arches, the central being the highest, flanked by two tapering minarets. King Ghazi-ud-Din Haider (AD 1814-27) affixed a door made of Silver in the dargah and setup a *Nakkarkhana* Gateway. Malka Zamania, wife of Nawab Nasir-ud-din Haider (AD 1827-37) is said to have added a kitchen dormitory for free distribution of food. Wajid Ali Shah (AD 1847-56) when deposed by the British in AD 1856 is believed to have deposited his crown and sword at the shrine before leaving for confinement in Kolkata.

3.4 Description of Monument

The main building of the Dargah is a harmonious synthesis of architectural elements and spiritual significance. Its raised tank, rectangular hall, small mosque, arched cells, entrance gateway and the prayer hall with its central arches and onion dome all come together to create a place of profound architectural and spiritual significance.

Refer Annexure – III

3.4.1. Architectural Description of the Entrance Gateway

The gateway stands as a magnificent testament to the fusion of architectural styles, showcasing a harmonious blend of pointed arches, multi-foiled arches, pediments and other distinct elements. This architectural masterpiece serves as both a functional entrance and a work of art, welcoming visitors with its grandeur and elegance.

- **Pointed Arches:** The most striking feature of the gateway is its pointed arches, which rise gracefully towards the sky. These arches are defined by their two tall, slender sides that meet at a sharp point at the top. The use of pointed arches lends a sense of verticality and Gothic influence to the structure, evoking a feeling of soaring upward.

- **Multi-Foliated Arches:** Adorning the entrance are multi-foiled arches, each intricately designed with multiple overlapping curves and lobes. These arches, inspired by Islamic and Moorish architectural motifs, create a sense of intricacy and delicacy amidst the overall grandeur of the gateway.

- **Pediments:** Crowning the gateway features two pediments, one on each side. These triangular structures add a classical touch to the design. The pediments are adorned with intricate carvings, adding depth to the structure.

- **Double-Height Entrance:** The entrance itself is a double-height space, allowing for a dramatic sense of scale and creating an imposing threshold for those passing through. This double height not only adds to the aesthetics but also provides a practical function by accommodating larger groups of people and *Alam* during Muharram.

- **Cornices:** Running along the top of the gateway is a series of ornate cornices. These decorative mouldings serve both an aesthetic and functional purpose, providing structural support while adding a touch of architectural refinement to the overall composition.

3.4.2. Architectural Description of courtyard

This courtyard is a sublime fusion of architectural elements that combine to create an enchanting and harmonious space. It is a testament to the craftsmanship and artistic vision that transcends time and culture, evoking a sense of grandeur and serenity.

- **Colonnades:** The central focus of this courtyard is the majestic colonnade that encircles it. The colonnade consists of a series of decorative columns, elegantly spaced at regular intervals. These columns, crafted from the finest materials, showcase intricate carvings and ornate designs that pay homage to the rich cultural heritage of the region.

- **Semi-Circular Arches:** The arcade is composed of semi-circular arches, each gracefully rising and then curving gently to meet its neighbouring arches. These arches impart a sense of fluidity and rhythm to the courtyard. Their simple yet timeless design provides a pleasing contrast to the more ornate elements.

- **Multifoiled Arch Relief Work:** Within the spandrels of the semi-circular arches, intricate multifoiled arch relief work is prominently featured. These embellishments, inspired by Moorish and Islamic architectural traditions, depict delicate geometric patterns, intricate floral motifs, and abstract designs. The arch relief work serves as a visual tapestry that adds depth and intricacy to the arches.

- **Decorative Columns:** The decorative columns that support the arches are a work of art in themselves. Adorned with exquisite carvings, these

columns feature motifs. They rise from intricately designed bases and culminate in ornate capitals that add a sense of grandeur and sophistication.

- **Decorative Parapets:** Surrounding the courtyard is a decorative parapet adorned with balusters, filigree work, and small domes at regular intervals. These parapets not only enhance the safety of the elevated walkways but also serve as visual elements that create a sense of enclosure and privacy. The small domes add a touch of elegance to the overall design.

- **Minarets:** At each of the four corners of the courtyard stand small minarets. These slender towers reach skyward, symbolizing the spiritual and architectural significance of the space. They are crowned with graceful finials, adding verticality and a sense of grace to the skyline of the courtyard.

3.5 Current Status

3.5.1. Condition of the Monument - Condition Assessment

The maintenance and preservation of the Centrally Protected Monument (CPM) and its protected area is the exclusive domain of Archaeological Survey of India (ASI). The Photographs depicting the present condition of the protected monument is appended in **Annexure –VIII**.

3.5.2. Daily footfalls and occasional gathering number:

Since the monument is non-ticketed, it lacks an official registry of the visitors resulting in unavailability of appropriate information regarding the daily footfall / visitor traffic. However insights regarding the same have been gleaned through visual observations and interviews with the individuals closely associated with the immediate surroundings of the monument. The daily footfall is limited to 400-500 visitors who are mostly locals. The number increases to 1000-2000 visitors on occasional religious gatherings like Majlis and Navchandi. The footfall substantially surges in the monument at the time of Muharram.

CHAPTER IV

Existing Zoning in the Local Area Development Plan

4.1 Existing Zoning

As per the Lucknow Master Plan 2031, Section 8.11.11, the Lucknow development area has been divided into 31 Regulation Zones **(Annexure VII).** The site of the Dargah Hazrat Abbas, falls under the **Zone 13** of the Zonal Plan. These Regulation Zones are generally confined to the boundary of the main roads of the homogeneous area. The proposals for the detailed development plans of the individual regulation zones are yet to be prepared as per the Master Plan 2031.

Refer Annexure – VII

4.2 Existing Guidelines of the local bodies

The existing local building bye-laws as per Lucknow Master Plan 2031 prepared by Lucknow Development Authority (LDA) can be seen in **Annexure V.**

CHAPTER V

Information as per First Schedule, Rule 21(1)/ total station survey of the Prohibited and the Regulated Areas on the basis of boundaries defined in Archaeological Survey of India records.

5.1 Contour Plan/ Survey Plan/ Site Plan:

Survey Plan of the Dargah Hazrat Abbas, Lucknow may be seen in **Annexure- I**.

5.2 Analysis of the surveyed data:

5.2.1. Prohibited Area and Regulated Area details:

The prohibited area and regulated area details for the Dargah Hazrat Abbas are listed below:

a) Total Protected Area: 4740.48761 sqm (approximately)

b) Total Prohibited Area: 69369.99874 sqm (approximately)

c) Total Regulated Area: 326163.6777 sqm (approximately)

Salient Features:

The monument contributes to the tangible and intangible cultural practices of the Shia community. The cultural landscape including the monument along with other historic structures of Rouzas, Maqbaras, and Imambaras within and beyond the given boundaries of the monument mark a pilgrimage route during Muharram. Apart from that, a dense residential settlement dotted with baghs/ open spaces and public buildings further define the spatial characteristics.

5.2.2. Description of built-up area:

A. Prohibited Area

<u>North</u>

In the northern side of the prohibited area there is a densely populated residential colony referred to as Rustam Nagar. There are a handful of commercial structures situated along the main Dargah Abbas Road. This area is also home to several significant religious establishments including Kamara-e-Bani Hassim Masjid, Masjid Mir Sadaq Hussain, Hussaini Masjid, and Masjid Imam-e-Zamana. Additionally, there are educational institutions such as Kamran Montessori School and Iram Modern School, which cater to the educational needs of the community.

<u>North East</u>

The built-up area of North Eastern side encompasses Al-Abbas Islamic Library which serves for religious studies and research. Religious structures such as Mohammadi Masjid & Door Wali Masjid are also present in this area.

Kashmiri Mohalla Road Market offers goods and services that range from daily essentials to unique local products.

The residential component of this area is characterized by narrow streets and alleys that have clusters of houses. These streets create an intimate neighbourhood atmosphere, fostering a sense of community among residents.

There are two important roads (Dargah Hazrat Abbas Road and Kashmiri Mohalla Road) which intersect at right angles forming a vital junction within the transportation network of the area. This road likely connects various parts of the locality and facilitates access to the commercial and residential zones.

East

In the Eastern side of the Prohibited Area there is a unique blend of important religious sites and residential neighbourhoods. Dominated by spiritual and cultural significance, this area encompasses several noteworthy locations, including Rouza-e-Fatmain, Rouza Betul Husan, Mir Mehalla Masjid and Rouza Nazaf. These religious sites are clustered together within a spacious campus, where devotees gather for various congregation activities, particularly during auspicious days of the month and festive occasions.

The surroundings of these religious structures gradually transition into a residential zone characterized by closely connected narrow streets. There are only a handful of commercial buildings dispersed throughout, underscoring the predominantly non-commercial nature of this locality.

South East and South

In the Southern and South Eastern side of the prohibited area, there is a predominantly residential area recognized as New Rustam Nagar which has a religious landmark, the Murahad ki Masjid.

South-West

Towards the South West Prohibited Area, there are two wedding cum banquet venues, namely N.K. Palace and Nayab Palace Marriage Hall. Adjacent to these venues, there is an open area designated for parking. This area also features commercial spaces.

West

The Western side of the Prohibited Area is purely residential.

B. Regulated Area

North

In the Northern side of the Regulated Area there are densely populated residential neighbourhoods with narrow streets. There is a Madarsa called Noor-ul-urom present in this area. A graveyard known as Aarzi Kabristaan is situated nearby.

East and North-East

The Eastern and North Eastern side of the Regulated Area is primarily residential, with a commercial stretch running along Kashmiri Mohalla

Road. Along this road, there are several religious structures, including Rouza-e-Sarkare Hussaini and the Panjalani Masjid. This area has a school called the New Ideal Montessari School contributing to its diverse character.

South-East

The South Eastern side of the Regulated Area has a densely populated residential area featuring two religious structures: the Masumiya Masjid and the Bagh-wali Masjid. There is a pumping station which caters to the people of Kashmiri Mohallah.

South

The Southern side of the Regulated Area has a blend of residential, commercial, and mixed-use developments. There is a commercial stretch along Chote Sahab Alam Road, which leads towards Kaz Main. Notable establishments in this area include the Sanjay Zarda Factory, specializing in tobacco products, and an Electric Office.

West and North-West

In the Regulated Area, towards the North West and West, there is predominantly residential area that features narrow streets. There is Mughal Sahab Imambara along with the Mughal Sahab Imambara Masjid located in close proximity to each other. These structures are architecturally significant and add to the cultural identity of the area.

5.2.3. Description of green/open space

The area is punctuated by ~~a~~ multitude of open spaces, each with its distinct attributes and purpose, contributing to the rich cultural fabric of the surroundings. These open spaces serve as vital components of the cultural landscape.

There is an open space locally known as Imli ka Maidan in the northern side of the prohibited area which provides a communal space for various activities and gatherings.

The character of these open spaces exhibits remarkable diversity, reflecting the complex history and cultural heritage of the surroundings. In certain areas, dense vegetation and towering trees create a lush and tranquil atmosphere, providing a respite from the urban bustle.

5.2.4. Area covered under circulation – Road, Footpaths etc.

Access to this centrally protected monument by motorized vehicles is facilitated through the adjoining/ abutting arterial road, known as Dargah Hazrat Abbas Road, which runs in a north-western direction. This arterial road serves as a crucial transportation link, connecting the monument to city through two major state highways that, in turn, provide access to the national highway network.

At the Northern end of Dargah Hazrat Abbas Road, it seamlessly joins State Highway – 25, establishing a direct connection from Lucknow to District

Hardoi. This State Highway plays a pivotal role in enhancing regional accessibility and connectivity.

At the Southern end of Dargah Hazrat Abbas Road, it converges with State Highway – 40, which acts as a vital conduit linking Lucknow to Etawah. This connection significantly contributes to regional transportation and facilitates travel to neighbouring areas.

In the South Eastern direction there are collector roads and narrower alleyways (referred to locally as "Gali"), which connect to sub-arterial roads within the historical urban fabric. These smaller roads and alleys primarily serve localized movements within the dense urban context.

5.2.5. Existing Heights of building

In the designated 100 meters Prohibited Area, building heights are typically varying between one to five storeys. The tallest structure within the Prohibited Area is Rouz-e-Fatmain, standing at approximately 20.10 meters. Predominantly, buildings in the Prohibited Area are residential, with the majority having heights ranging from one to three storeys, although there are occasional exceptions.
Refer Annexure IV

a) **East:** The building height ranges from 7m to 15m.
b) **South-East:** The building height ranges from 4m to 12m.
c) **West:** The building height ranges from 4m to 12m.
d) **North-West:** The building height ranges from 4m to 9m.
e) **North:** The building height ranges from 4m to 9m.
f) **South:** The building height ranges from 7m to 20m.

5.2.6. State protected monument(s) and listed heritage buildings by the local authorities, if available within prohibited and regulated area

There are no state protected monuments and listed heritage buildings by the local authorities available within the Prohibited and Regulated Areas. However, there are two other centrally protected monuments namely, the Kaz Main buildings and Karbala of Dainut-ud-daula lying in close proximity but beyond the regulated boundary.

5.2.7. Public amenities

a) Restrooms and Sanitation Facilities
At present, there is no restroom facility at the protected boundary of the monument.

b) Drinking Water Facilities:
There are two drinking water kiosks within the protected area. One is situated in the central courtyard of the Dargah building, while the other is a newly constructed kiosk adjacent to the campus boundary wall.

c) Information Centers and Signage:

Since the monument is majorly visited by local residents for their daily religious rituals and practices, the need for an Information Center is minimal. Signage and descriptive panels should be provided.

d) Universal Accessibility:

To accommodate visitors with disabilities the universal accessibility and barrier-free environment such as ramps, tactile pathways and accessible restrooms should be provided.

5.2.8. Access to the monument

Dargah Hazrat Abbas is prominently located within the densely populated historic area of Muhalla Saadatganj in old Lucknow. Access to this centrally protected monument by motorized vehicles is facilitated through the adjoining/ abutting arterial road, known as Dargah Hazrat Abbas Road, which runs in North Western direction. This arterial road serves as a crucial transportation link, connecting the monument to city through two major state highways that, in turn, provide access to the national highway network.

5.2.9 Infrastructure services (water supply, storm water drainage, sewage, solid waste management, parking etc.):

Facilities of water supply, storm water drainage, sewage, etc is available in the protected, prohibited and regulated areas of the monument but needs to be upgraded. There is no designated parking space provided for the visitors of the monument.

5.2.10 Proposed zoning of the area as per guidelines of the Local Bodies:

As per the Lucknow Master Plan 2031, Section 8.11.11, the Lucknow development area has been divided into 31 Regulation Zones **(Annexure VII).** The site of the Dargah Hazrat Abbas, falls under the **Zone 13** of the Zonal Plan. These Regulation Zones are generally confined to the boundary of the main roads of the homogeneous area. The proposals for the detailed development plans of the individual regulation zones are yet to be prepared as per the Master Plan 2031.

Refer **Annexure-VII**

CHAPTER VI

Architectural, Historical and Archaeological Value of the Monument

6.1 Architectural, Historical and Archaeological Value of the Monument.

The Dargah Hazrat Abbas in Lucknow holds both historical and religious significance, particularly within the context of Islam and the Shia traditions.

Historical Significance: The Dargah (shrine) is dedicated to Hazrat Abbas, also known as Hazrat Abbas Alamdar, who was the son of Imam Hussain. Hazrat Abbas is revered for his unwavering loyalty, bravery, and sacrifice during the Battle of Karbala in 680 CE. The Battle of Karbala was a significant event in Islamic history which marked the martyrdom of Imam Hussain, the grandson of Prophet Muhammad, along with many of his family members and companions. It is believed that Hazrat Abbas played a crucial role in the battle, defending and providing water to the thirsty children and women of the Imam's camp despite being outnumbered and facing immense hardships. His sacrifice exemplifies the values of selflessness, devotion and courage in the face of adversity.

Religious Significance: For Shia Muslims, Dargah Hazrat Abbas holds immense religious significance. The Dargah serves as a place of veneration and remembrance for Hazrat Abbas and the events of Karbala. Devotees visit the Dargah to seek spiritual solace, offer prayers, and pay their respects to Hazrat Abbas. The shrine becomes particularly significant during the annual commemoration of Ashura, the tenth day of the Islamic month of Muharram, which marks the climax of the Battle of Karbala. During this period, Shia Muslims engage in mourning rituals to honour the martyrdom of Imam Hussain and his companions.

Dargah Hazrat Abbas serves as a focal point for both religious gatherings and community bonding among Shia Muslims. It is a place where believers come together to express their grief, remember the sacrifices of the holy figures of Islam, and draw inspiration from their steadfastness.

In Lucknow, the Dargah not only functions as a religious site but also as a cultural landmark that reflects the city's rich history and the contributions of the Shia community. The architecture and design of the Dargah often exhibit elements of Mughal and Islamic art, creating an atmosphere of reverence and contemplation.

Architectural value:

Architectural Importance of the Entrance Gateway: The gateway stands as a magnificent testament to the fusion of architectural styles, showcasing a harmonious blend of Pointed Arches, Multi-Foiled Arches, Pediments, Double-heighted Entrances and Cornices which run along the top of the gateway. This architectural masterpiece serves as both a structurally functional entrance and a work of art, welcoming visitors with its grandeur and elegance.

Architectural Importance of the Courtyard: This courtyard is a sublime fusion of architectural elements that combine to create an enchanting and harmonious space. It is a testament to the craftsmanship and artistic vision that transcends time and culture, evoking a sense of grandeur and serenity.

- The central focus of this courtyard is the majestic colonnade that encircles it.
- The arcade is composed of semi-circular arches, each gracefully rising and then curving gently to meet its neighbouring arches.
- Within the spandrels of the semi-circular arches, intricate multifoiled arch relief work is prominently featured. There are other prominent architectural elements such as decorative columns, parapets and the four small minarets placed at each corner.

Archaeological value: It can be noted that no known archaeological remains have been yet found on the site. However, there are sacred edifices such as mosques, imambaras, and tombs, locally referred to as *Mazars*. These religious structures are integral components of the cultural landscape, resonating with spiritual significance and historical relevance.Their presence indicates significant architectural and cultural inflow in the old residential setting.

6.2 Sensitivity of the monument (e.g., developmental pressure, urbanization, population pressure, etc.):

The monument finds itself under significant threat due to relentless development pressures, which begin.

In the North West direction of the Dargah Hazrat Abbas, the Prohibited and Regulated Areas are home to several significant structures that play an integral role in shaping the cultural landscape of the protected monuments. These structures include the Dargah Hazrat Sayaad Baba, Dariwali Masjid, old Mazar, Imli Maidan, and Masjid Imam-e-Jamana. However, the existing condition of these areas is increasingly vulnerable to development pressures. Some of these sites and their immediate surroundings are being used as waste dumping grounds, which poses a serious threat to their preservation.

6.3 Visibility from the Protected Monument/ Area and visibility from the Regulated Area:

The Dargah Hazrat Abbas faces challenges in terms of visibility from both the Prohibited and Regulated Areas, since the monument occupies a unique location within the densely populated Kashmiri Mohalla of Rustam Nagar in the centre of the Lucknow city. Its strategic positioning within the urban landscape, characterized by narrow streets and high-density building footprint has resulted in significant development pressures over time. As a consequence, the visibility of Dargah Hazrat Abbas is limited from both the prohibited and regulated areas.

Within the tightly packed Regulated Area, the visibility of the monument is notably constrained due to the surrounding urban development. The intricacies of the urban

layout, combined with the presence of numerous densely packed buildings make it challenging to catch a clear view of the Dargah. However, despite these constraints, the monument can still be glimpsed from the adjoining road within the prohibited area.

Visibility from the monument of Dargah Hazrat Abbas seems to be little due to the massive boundary of the monument itself, which permits a visual connection to the adjacent residential buildings, which are higher than G+1 in height.

6.4 Land-use to be identified:

The land-use as per the Lucknow Masterplan 2031 is identified as Residential *(Awasiye)* and may be referred in **Annexure-VI**.

6.5 Archaeological heritage remains other than protected monuments:

No known archaeological heritage remains are present near the monument. Further investigation may be done to ascertain any archaeological remains.

6.6 Cultural landscapes:

The cultural landscape surrounding the distinguished site of Dargah Hazrat Abbas is a tapestry richly woven with physical, social, and spiritual elements, reflecting the profound influence of Islamic culture in the heart of a densely populated residential area. This cultural landscape, deeply interwoven with history and faith, shapes the environment around this protected monument in a truly unique and vibrant way.

Physical Elements:

Dargah Hazrat Abbas: At the center of this cultural landscape stands the magnificent Dargah Hazrat Abbas, a shrine dedicated to Hazrat Abbas. Its architectural splendour, characterized by intricate design and fine craftsmanship, serves as a focal point of spiritual devotion and historical significance.

Rouza and Mazar: The Rouza (tomb) and Mazar (mausoleum) adjacent to the dargah are integral components of this cultural tapestry. They are revered as the final resting places of respected religious figures, drawing pilgrims and devotees seeking blessings and solace.

Mosques: Mosques dot the landscape, serving as places of congregational prayer and community gatherings. They not only fulfil religious functions but also stand as architectural marvels, each with its unique design and historical context.

Tombs: Surrounding the dargah are tombs that commemorate individuals of historical importance. These tombs, with their distinctive architecture and inscriptions, contribute to the historical richness of the landscape.

Madrasas and Islamic Centers: Educational institutions such as madrasas and Islamic centres are pivotal in imparting religious education and promoting cultural

understanding. They serve as hubs for intellectual and spiritual development within the community.

Social Elements:

Daily Rituals: The cultural landscape comes alive with daily rituals, as devotees and residents visit the dargah and surrounding religious sites to offer prayers, light candles, and engage in acts of piety. These rituals create a sense of continuity and connection with the past.

Communal Gatherings: The dargah and its environs serve as central nodes for communal gatherings. Festivals and religious events bring people together, fostering a sense of unity and shared identity among the community members.

Interactions and Exchange: The cultural landscape facilitates interactions and exchanges among people of different backgrounds, promoting cultural diversity and tolerance. It is a space where individuals from various walks of life come together in pursuit of a common spiritual goal.

Spiritual Elements:

Sacred Atmosphere: The cultural landscape exudes a sacred atmosphere, with the fragrance of incense, the sound of prayers, and the sight of pilgrims in devotion. It is a place where the spiritual and the earthly realms merge, creating an environment conducive to contemplation and reverence.

Faith and Belief: Faith and belief are at the core of this cultural landscape. The monuments and religious structures bear witness to the enduring strength of religious convictions and the role they play in shaping the lives of the people who visit and reside in the area.

In conclusion, the cultural landscape surrounding Dargah Hazrat Abbas is a living testament to the rich tapestry of Islamic culture, history, and faith. It is a place where physical structures, social interactions, and spiritual elements converge to create a vibrant and harmonious environment. This landscape not only preserves the heritage of the past but also serves as a dynamic and meaningful part of the lives of those who call it home.

6.7 Significant natural landscapes that forms part of cultural landscape and also help in protecting monument from environmental pollution.

The monument is surrounded by modern constructions; therefore, presently no significant natural landscape exists.

6.8 Usage of open space and constructions:

The existing open spaces within the prohibited and restricted areas around The Dargah Hazrat Abbas represent a microcosm of cultural, historical, and environmental significance. These spaces, serving diverse functions and embodying

a blend of natural beauty and religious devotion, stand as a testament to the complex interplay of human heritage and the need for vigilant conservation in the face of modern challenges. The area is punctuated by a multitude of open spaces, each with its distinct attributes and purpose, contributing to the rich cultural fabric of the surroundings. These open spaces serve as vital components of the cultural landscape.

A notable proportion of these open spaces primarily serve as parking grounds, accommodating the vehicular needs of the neighbourhood, whereas some of these open spaces serve as natural boundaries, defining the limits of the restricted areas, thus preserving their historical and environmental significance.

6.9 Traditional, Historic and Cultural Activities

Within the surveyed area, traditional, historic, and cultural activities observed were as follows:

One of the most prominent traditional art forms in this locale is the intricate craftsmanship of Zardozi and Chikankari work. These skilled artisans can be found throughout the surveyed area, diligently weaving their craft. It is worth noting that even within the protected boundaries of the monument and within the precincts of the Dargah itself, these artisans have a working station.

Among the cultural events celebrated in this area, Muharram stands out as the most significant. The Dargah's foundation and existence are intimately tied to the commemoration of the tragic events of Karbala, which are directly associated with Muharram. Lakhs of people from near and far converge to pay homage to the Dargah Hazrat Abbas.

Among the important rituals and events, one of the most remarkable is the grand procession led by the Sacred *Alam*, a symbol of great reverence that guides the faithful on a spiritual journey, creating a memorable and moving experience for all who participate in or witness this momentous event.

In addition to Muharram, religious congregations locally referred to as "*taqreer*," have been a traditional practice since the area's inception. These gatherings feature the delivery of sermons and religious teachings by various Islamic scholars from across the country. This practice has deep historical roots and continues to be a vital cultural and spiritual activity, fostering a sense of unity and community among the residents and visitors alike.

6.10 Skyline as visible from the monument and Regulated Area

The skyline visible is a blend of residential structures of varying heights, ranging from ground level to three stories high (G to G+3) having absence of any distinct architectural characteristics that typically define a skyline. Instead, it is a demonstration to the diversity and evolution of urban living.

In between the residential buildings, the skyline is punctuated by the presence of minarets and domes of religious structures that add a unique and distinctive touch. Among these, one of the notable landmarks in the Eastern side of the Dargah Hazrat Abbas is Rouza-e-Fatmain. These structures are characterized by their high minarets and their domes that crown the skyline. Their presence imparts a sense of spirituality and cultural significance to the area, making them prominent features in an otherwise unassuming skyline. Additionally, the presence of a few old trees ~~that~~ creates a contrast with the urban fabric of the skyline. These old high foliage trees stand as witnesses to the passage of time and the city's ever-changing landscape. When viewed from the Dargah, these trees create a harmonious blend of nature features and human development in the skyline.

6.11 Traditional Architecture:

Apart from religiously significant edifices like old mosques, mazar, rouza, etc., most of the structures within the residential area of the Prohibited and Regulated Areas have undergone reconstruction or modernization over time. A few constructions in the Kashmiri Mohalla and Rustam Nagar neighbourhoods serve as exemplars of traditional architecture. These constructed buildings are privately owned residential properties constructed using locally sourced materials. Their spatial layout is designed to respond to the climate, and they exhibit distinctive features of Awadh Architecture.

6.12 Development plan, as available, by the local authorities.

Detailed Zonal Development Plans of the individual regulation zones are yet to be prepared by the Authorities. (Refer **Annexure – VII).**

6.13 Building related parameters:

Prohibited Area:

As per AMASR Act, no new construction shall be permissible within the 100 m radius from the notified protected boundary of the centrally protected monument.

Repair and Renovation: Internal changes and adaptive reuse may be generally allowed, however, external changes shall be subject to scrutiny and permission from the Competent Authority. Changes may include retrofitting/ renovation that may be permitted when the building is structurally weak or unsafe or when it has been affected by any natural calamity and renovation is absolutely necessary.

Original building vocabulary and layout along with built/open relationships are to be adhered to. General repair and upkeep of buildings will be permitted, subject to permission from the Competent Authority.

The repair and renovation in structures should be sympathetic and congruous with the heritage character of the surrounding areas. New cladding materials like

Aluminium Composite Panels (ACP), High Pressure Laminates (HPL), laminates, tiling etc. or glazing will not be permitted.

Reconstruction:

Reconstruction is defined in Section 2(k) of AMASR Act, 1958, Permission for reconstruction in Regulated Area is accorded as per Section 20 C (2) of the AMASR Act, 1958 and Rule 6(IV) and Rule 7 of AMASR Rules, 2011. In case of damage due to natural calamities, the permission for reconstruction is accorded as per Rule 16 of the AMASR Rule, 2011. The new structure or building as a replacement to the older building in case of reconstruction shall follow the same horizontal and vertical limits as per the pre-existing structure. The use of incongruous materials in the façade such as glazing, metal cladding, Aluminium Composite Panels (ACP), High Pressure Laminates (HPL), tiles, laminates, etc. is not permitted. The new structure should be sympathetic and congruous with the heritage character of the surrounding area.

Regulated Area:

1. **Height of the construction on the site:** The overall height limit for new development or additions to existing buildings shall not exceed **12.5 m** (inclusive of the parapet, mumty or any other services on the roof). Construction of basement shall not be permitted in the area.

2. **Floor Area:** According to the plot size and the permissible Floor Area Ratio.

3. **Usage:** The residential character with some commercial and mixed-use activities should be maintained in the future.

4. **Façade Design:** The architectural characteristics of monument is iconic and depicts a large-scale structure, it has minimal effect on residential or small-scale constructions in prohibited and regulated areas. Hence, the facade design of new construction must be minimalistic in nature, so that, is does not overpower the monument.

5. **Roof Design:** The flat roof design to be followed.

6. **Building Material:** The modern building material may be used for construction. However, masonry and stone finishes to be used for external façade. Modern construction materials may be used but the external façade should not be clad with materials like Aluminum Composite Panels (ACP), High Pressure Laminates (HPL), laminates, tiling, etc or glazing will not be permitted.

7. **Colour:** The exterior colour shall be of a neutral tone used in harmony with the monument such as buff sandstone colour, beige and other earth colours which do not create a harsh contrast with the monument.

CHAPTER VII

Site Specific Recommendations

7.1 Site specific Recommendations

(i) Stringent measures to be put in place to prevent incongruous additions and alterations to existing boundary to control encroachment.
(ii) To preserve the historical and cultural significance of The Dargah Hazrat Abbas and Kaz Main Building in Lucknow, it is advisable to initiate the demarcation of a new heritage zone that includes these landmarks. Additionally, this heritage zone should be formally incorporated into the Lucknow Master Plan - 2031.
(iii) Site may also have descriptive plaques based on authentic historical narrative.
(iv) All signs within the historic precinct should be compatible and harmonious with the special character of the monument and its surroundings.
(v) The installation of signages should not damage the historic fabric, nor diminish the historic character of the monument.
(vi) No advertisements in the form of hoardings, bills within the heritage zone will be permitted.
(vii) Regular upkeep and maintenance of the monument to protect it from any structural damage.
(viii) Required illumination along the pathway from the entrance shall be provided.
(ix) The level difference between the road and entrance passage needs to be rectified by creating a ramp.
(x) Since the monument lies in a dense neighborhood therefore park and ride facility may be provided to avoid congestion.

7.2 Other Recommendations

(i) The jurisdiction and the boundaries of the heritage zone may be integrated into the local area plan that is prepared and implemented by the Lucknow Development Authority as the local area plan provides a single window framework for implementation of regulations of the Master plan as well as heritage regulations. Layout plans with urban design guidelines may also be included at the local area plan level.
(ii) Extensive public awareness programs may be conducted.
(iii) Provisions for differently able persons shall be provided as per prescribed standards.
(iv) The area shall be declared as Plastic and Polythene free zone.
(v) National Disaster Management Guidelines for Cultural Heritage Sites and Precinct may be referred at https://ndma.gov.in/images/guidelines/Guidelines-Cultural-Heritage.pdf

अनुलग्नक-I
ANNEXURE-I

दरगाह हज़रत अब्बास, लखनऊ की संरक्षित, प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र दर्शाने वाली स्थल योजना

Site Plan Showing Protected, Prohibited and Regulated Areas of the Dargah Hazrat Abbas, Lucknow

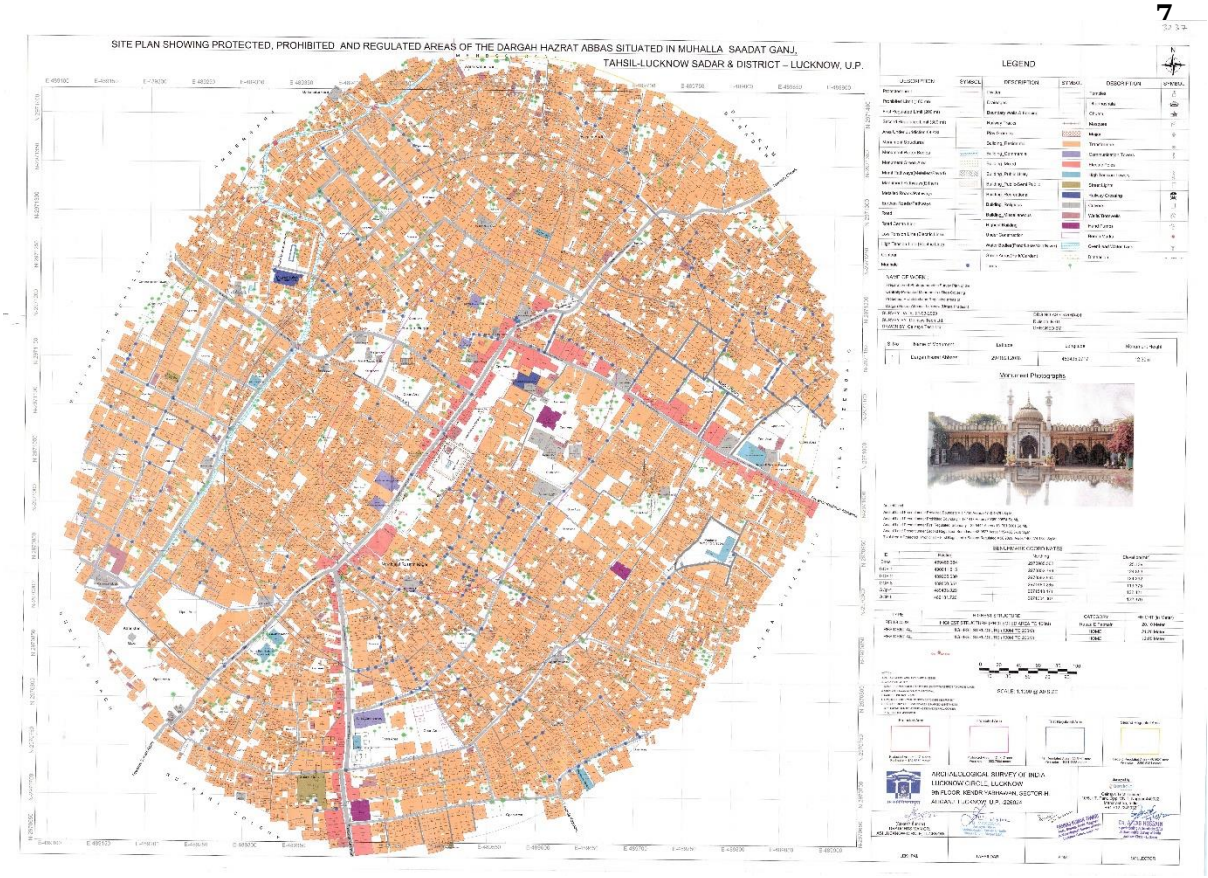

अनुलग्नक– II
ANNEXURE –II

दा दरगाह हज़रत अब्बास, सादतगंज, लखनऊ , उत्तर प्रदेश की अधिसूचना
मूल अधिसूचना

Notification of The Dargah Hazrat Abbas, Lucknow
Original Notification

F-57

PUBLIC WORKS DEPARTMENT.
BUILDINGS AND ROADS BRANCH.

Dated Naini Tal, the 15th July 1910.

No. 1287 - 367/M.- In exercise of the powers conferred by section 3(3) of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (VII of 1904), His Honour the Lieutenant-Governor of the United Provinces of Agra and Oudh is pleased to confirm this department notification no. 1038-M/367, dated the Ist June 1910, published at page 522, Part I of the United Provinces, Gazette of 4th June 1910, declaring the Dargah Hazrat Abbas situated in muhalla Saadatganj, city Lucknow, Tahsil Lucknow in the Lucknow district, as protected under the said Act.

By order of the H on'ble the Lieut.-Govr., United Provinces,

C.E.V. GOUMENT ,

Secretary to Government, United Provinces.

Typed Copy of Original Notification

PUBLIC WORKS DEPARTMENT.
BUILDINGS AND ROADS BRANCH.

Dated Naini Tal, the 15th July 1910.

No. 1287-367/M. - In exercise of the powers conferred by section 3(3) of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (VII of 1904), His Honour the Lieutenant-Governor of the United Provinces of Agra and Oudh is pleased to confirm this department notification no. 1038-M/367, dated the 1st June 1910, published at page 522, Part I of the United Provinces, Gazette of 4th June 1910, declaring the Dargah Hazrat Abbas situated in muhalla Saadatganj, city Lucknow, Tahsil Lucknow in the Lucknow district, as protected under the said Act

By order of the Hon'ble the Lieut.-Govr., United Provinces,
C.E.V. GOUMENT,
Secretary to Government, United Provinces.

अनुलग्नक– III
ANNEXURE – III

दा दरगाह हज़रत अब्बास, लखनऊ का अभिलेखीय मानचित्र
The Archival Map of The Dargah Hazrat Abbas, Lucknow

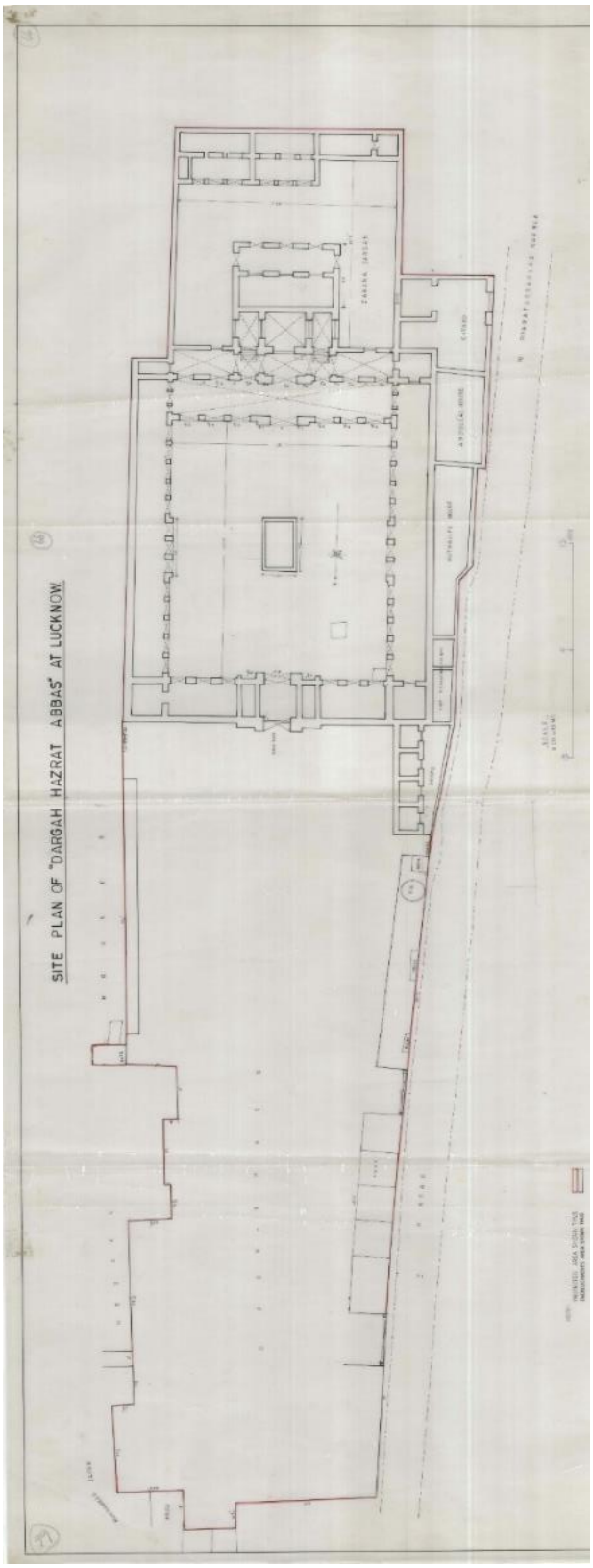

अनुलग्नक– IV
ANNEXURE – IV

दा दरगाह हज़रत अब्बास, लखनऊ के संरक्षित, प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र का भवन ऊंचाई मानचित्र
Building Height Map of Protected, Prohibited and Regulated Area of The Dargah Hazrat Abbas

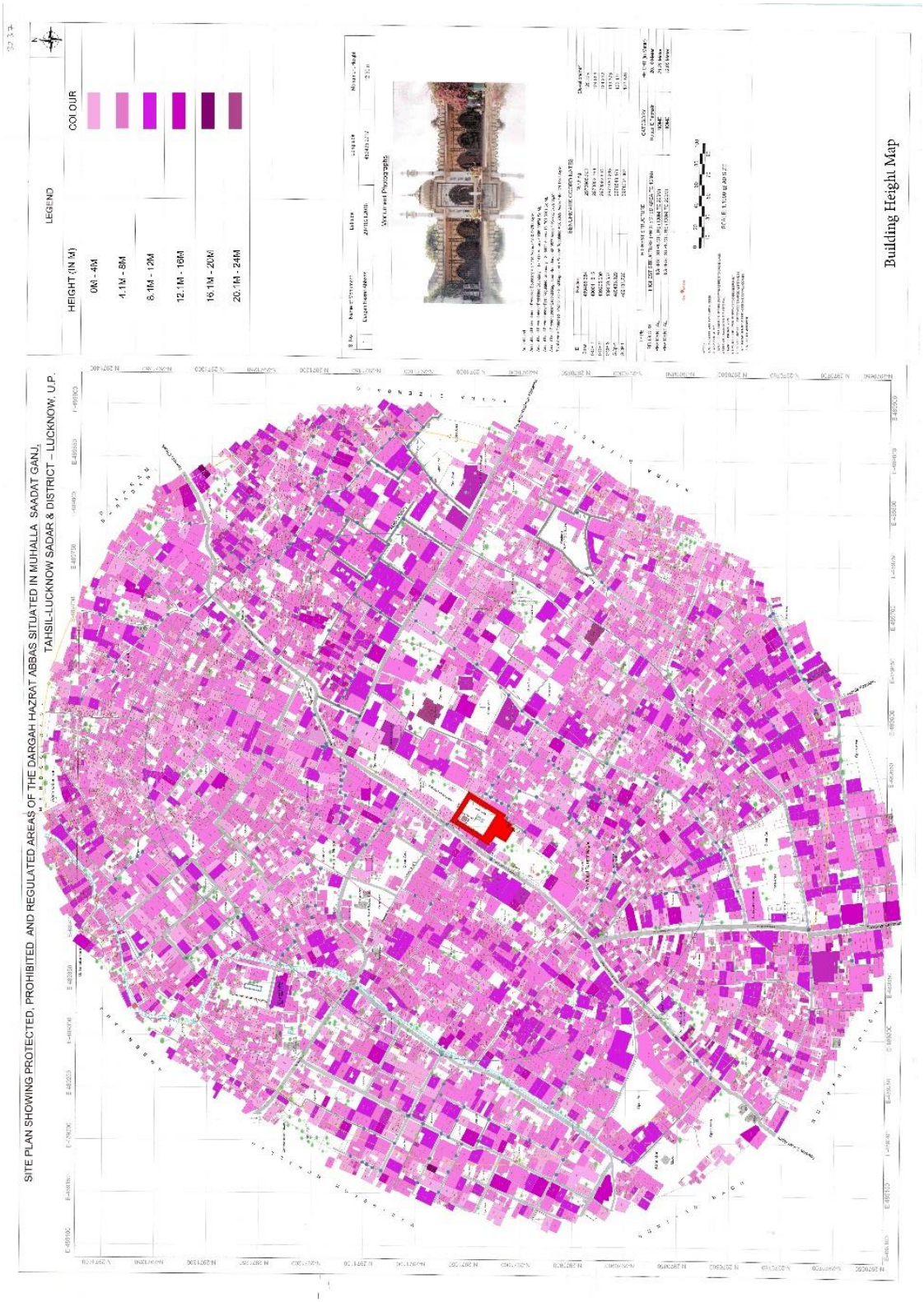

अनुलग्नक – V

उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 के स्थानीय निकाय दिशानिर्देश

1. नए निर्माण के लिए विनियमित क्षेत्र के साथ अनुमेय भू–आच्छादन, एफएआर/एफएसआई और ऊंचाई, खाली जगह

निर्माण के सामान्य नियम विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 के विरूद्ध विकास खंड 1.1.2 के अनुसार सभी विकास योजनाओं के लिए लागू होंगे जो उत्तर प्रदेश विकास नियोजन, 2008 के खंड 1.1.1 में उल्लिखित हैं। भूमि उपयोग योजना के अंतर्गत आवासीय भवनों में अधिकतम तीन मंजिलों का निर्माण अनुमन्य होगा जहां अधिकतम अनुमेय ऊंचाई स्टिल्ट के साथ 12.5 मीटर और स्टिल्ट के बिना 10.5 मीटर है। खाली जगह इस प्रकार होगी:-

विनिर्देश	प्लॉट का क्षेत्र (वर्ग मीटर)	सामने का मार्जिन	पीछे का मार्जिन	साइड 1 मार्जिन	साइड 2 मार्जिन	एफए आर
पंक्ति आवास	50 तक	1.0	-	-	-	2.00
	50 से 100	1.5	1.5	-	-	2.00
	10 से 150	2.0	2	-	-	1.75
	15 से 300	3.0	3	-	-	1.75
सेमी डिटेच्ड	300 से 500	4.5	4.5	3	-	1.50
डिटेच्ड	500 से 1000	6.0	6	3	1.5	1.25
	1000 से 1500	9.0	6	4.5	3	1.25
	1500 से 2000	9.0	6	6	6	1.25

आवासीय फ्लैट के लिए निर्मित/नए/अविकसित क्षेत्र के अनुसार भू आच्छादन और एफएआर

विवरण	आवासीय फ्लैट का क्षेत्र (वर्गमीटर में)	भू आच्छादन (प्रतिशत में)	एफएआर
निर्मित क्षेत्र	100 तक	75	2.00
	101 से 300	65	1.75
	301 से 500	55	1.50
	501 से 2000	45	1.25
विशिष्ट	**आवासीय फ्लैट का क्षेत्र (वर्गमीटर में)**	**भू आच्छादन (प्रतिशत में)**	**एफएआर**
नया/अविकसित क्षेत्र	100 तक	65	2.00
	101 से 300	60	1.75
	301 से 500	55	1.50
	501 से 2000	45	1.25

12.5 मीटर से 15 मीटर की ऊंचाई के लिए वाणिज्यिक/सरकारी/संस्थागत/सामुदायिक/सम्मेलन कक्ष /सार्वजनिक सुविधाओं के लिए खाली जगह:

भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	खाली जगह (मीटर में)			
	सामने	पीछे	साइड 1	साइड 2
200 तक (वाणिज्यिक को छोडकर)	3.0	3.0	-	-
201 से 500 (वाणिज्यिक सहित)	4.5	3.0	3.0	3.0
501 से अधिक (वाणिज्यिक सहित)	6.0	3.0	3.0	3.0

वाणिज्यिक/सरकारी/सामुदायिक/सम्मेलन कक्ष के लिए तीन मंजिल तक या 12.5 मीटर ऊंचाई तक के लिए खाली जगह ऊपर उल्लिखित के समान होगी, लेकिन संस्थागत/सार्वजनिक सुविधाओं (शैक्षिक भवन को छोड़कर) के लिए खाली जगह इस प्रकार होगी:

भूमि का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	खाली जगह (मीटर में)			
	सामने	पीछे	साइड 1	साइड 2
200 तक	3	3	-	-
500 – 201	6	3	3	-
2000 – 500	9	3	3	3
2001 से 4000 तक	9	4	3	3
40001 से 30000	9	6	4.5	4.5
30001 से ऊपर	15	9	9	9

12.5 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली इमारतों के लिए खाली जगह

भवन की ऊंचाई (मीटर में)	भवन के चारों ओर छोडी गई खाली जगह
12.5 से 15	5.0
15 से 18	6.0
18 से 21	7.0
21 से 24	8.0
24 से 27	9.0
27 से 30	10.0
30 से 35	11.0
35 से 40	12.0
40 से 45	13.0
45 से 50	14.0
50 से ऊपर	15.0

बेसमेंट विशिष्टताएँ:

(क) बेसमेंट का उपयोग आवासीय उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा। बेसमेंट में शौचालय या रसोईघर बनाने की अनुमति नहीं है।

(ख) आंतरिक आंगन और शाफ्ट के नीचे बेसमेंट की अनुमति है।

(ग) बेसमेंट का निर्माण संरचना के मूल्यांकन के बाद ही किया जायेगा।

(घ) पड़ोसी संपत्ति उस भवन संपत्ति से कम से कम 2 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए जहां बेसमेंट का निर्माण किया जाना है।

विभिन्न प्रकार के भवनों के लिए बेसमेंट का निर्माण तदनुसार होना चाहिए:

क्रमांक	भूमि क्षेत्र (वर्गमीटर में)	भूमि-उपयोग का प्रकार	बेसमेंट के लिए प्रावधान
.1	100 तक	2. आवासीय/अन्य गैर-वाणिज्यिक अनुमति नहीं	
		3. सरकारी और वाणिज्यिक	50 प्रतिशत भू आच्छादन की अनुमति है
.2	100 से 2000	1. आवासीय	20 प्रतिशत भू आच्छादन की अनुमति है
		2. गैर-आवासीय	अनुमत भू आच्छादन के समान
3	2000 से ऊपर	1. ग्रुप हाउसिंग/वाणिज्यिक और अन्य बहुमंजिला इमारतें	4000 वर्गमीटर भूमि क्षेत्रफल में डबल बेसमेंट की अनुमति है और 4000 वर्गमीटर से अधिक भूमि क्षेत्रफल के लिए 3 बेसमेंट की अनुमति है
		2. उद्योग	भू आच्छादन के समान और बेसमेंट का 50 प्रतिशत हिस्सा एफएआर में गिना जाएगा
		3. सार्वजनिक सुविधाएं	डबल बेसमेंट

पार्किंग सुविधा:

1. पार्किंग की व्यवस्था आवासीय स्थल क्षेत्र के अनुसार दी जाएगी:

आवासीय इकाई का निर्माण क्षेत्र	प्रत्येक आवासीय इकाई के लिए कार पार्किंग
100 वर्गमीटर तक	1.00
150-100 वर्गमीटर	1.25
150 वर्गमीटर से अधिक	1.50

2. सामान्य कार पार्किंग के लिए आवश्यक परिसंचरण क्षेत्र
   I. खुले क्षेत्र में पार्किंग - 23 वर्गमीटर
   II. कवर्ड पार्किंग - 28 वर्गमीटर
   III. बेसमेंट में पार्किंग - 32 वर्गमीटर

अन्य भूमि उपयोग के लिए भू आच्छादन और एफएआर:

क्रम सं.	भूमि उपयोग	भू आच्छादन प्रतिशत में	एफएआर
1.	भूखंड वाले आवास		
क	विकसित क्षेत्र के लिए		
	• 100 वर्गमीटर तक	**75**	**2.00**
	• 101-300 वर्गमीटर	**65**	**1.75**
	• 301-500 वर्गमीटर	**55**	**1.50**
	• 501-2000 वर्गमीटर	**45**	**1.25**
ख	नया/अविकसित क्षेत्र		
	• 100 वर्गमीटर तक	**65**	**2.00**
	• 101-300 वर्गमीटर	**60**	**1.75**
	• 301-500 वर्गमीटर	**55**	**1.50**
	• 501-2000 वर्गमीटर	**45**	**1.25**
2.	व्यावसायिक		
क	विकसित क्षेत्र के लिए		
	• सुविधाजनक दुकान	**60**	**2.00**
	• पड़ोस की दुकान	**40**	**1.75**
	• खरीदारी के लिए बनी सड़क	**40**	**1.50**
	• जिला शॉपिंग सेंटर / उप केंद्रीय व्यापार जिला	**40**	**1.25**
	• केंद्रीय व्यावसायिक जिला	**50**	**1.50**
		40	**1.75**
		30	**2.00**
ख	नया/अविकसित क्षेत्र		
	• सुविधाजनक दुकान	**50**	**1.50**
	• पड़ोस/ सेक्टर शॉपिंग सेंटर	**40**	**1.75**
	• जिला शॉपिंग सेंटर/उप केंद्रीय व्यापार जिला	**35**	**2.00**
	• केंद्रीय व्यावसायिक जिला	**30**	**5.00**
3.	सरकारी		
	निर्मित क्षेत्र	**40**	**1.50**

	विकसित क्षेत्र	**30**	**2.00**
	नया/अविकसित क्षेत्र		
	• सरकारी एवं अर्धसरकारी	**35**	**2.00**
	• व्यावसायिक/वाणिज्यिक कार्यालय	**30**	**2.50**
4	शैक्षिक		
क	निर्मित/विकासशील क्षेत्र		
	• प्राइमरी या नर्सरी स्कूल	**35**	**0.8**
	• हाई स्कूल / इंटरमीडिएट / उच्च संस्थान	**30**	**1.00**
ख	नया/अविकसित क्षेत्र		
	• नर्सरी स्कूल	**40**	**0.8**
	• प्राथमिक	**35**	**1.00**
	• हाई स्कूल/इंटरमीडिएट	**35**	**1.20**
	• डिग्री कॉलेज	**35**	**1.50**
	• तकनीकी/प्रबंधन संस्थान	**35**	**2.00**
5	सामुदायिक एवं संस्थागत सुविधाएँ		
क	निर्मित/विकसित क्षेत्र	**35**	**1.50**
ख	नया/अविकसित क्षेत्र		
	• सामुदायिक भवन , विवाह भवन एवं धार्मिक भवन	**40**	**1.50**
	• अन्य संस्थान	**30**	**2.00**
6	होटल		
क	निर्मित/विकसित क्षेत्र		
	3 स्टार तक	**40**	**1.50**
	5 स्टार और उससे ऊपर	**30**	**2.50**
7	अस्पताल		
क	निर्मित/विकसित क्षेत्र		
	• क्लिनिक/डिस्पेंसरी	**35**	**1.5**
	• 50 बिस्तरों वाला नर्सिंग होम	**35**	**1.5**
	• 50-100 बिस्तरों वाला अस्पताल	**35**	**1.5**
	• 100 एवं अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	**30**	**2.5**

8	**खुला क्षेत्र**		
क	निर्मित/विकसित क्षेत्र	**2.5**	**0.025**
ख	नया/अविकसित क्षेत्र	**2.5**	**0.025**

2. खुले स्थान

उत्तर प्रदेश विकास नियोजन-2008 एवं 2011 के अनुसार खुले स्थान के मानकों का उल्लेख किया गया है।

(क) आवासीय भूमि-उपयोग: लेआउट योजना का 15 प्रतिशत हिस्सा टोट-लॉट, पार्क और खेल के मैदान के रूप में खुली जगह के रूप में छोड़ा जाना है।

(ख) गैर-आवासीय भूमि-उपयोग: लेआउट योजना का 10 प्रतिशत हिस्सा टॉट-लॉट, पार्क और खेल के मैदान के रूप में खुली जगह के रूप में छोड़ा जाना है।

(ग) लैंडस्केप योजना:

I. सड़क की चौड़ाई 9 मीटर या 12 मीटर से कम होने पर सड़क के किनारे एक तरफ 10 मीटर की दूरी पर पेड़ लगाए जाएंगे।

II. सड़क की चौड़ाई 12 मीटर से अधिक होने पर सड़क के दोनों ओर पेड़ लगाये जायेंगे।

III. डिवाइडर, फुटपाथ आदि के बाद बची सड़क की जगह का उपयोग पौधे लगाने के लिए किया जाएगा।

(घ) व्यावसायिक योजना में 20 प्रतिशत खुली जगह हरियाली के लिए आरक्षित की जाएगी और प्रति हेक्टेयर 50 पेड़ लगाए जाएंगे।

(ड़) संस्थागत क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में 20 प्रतिशत खुला क्षेत्र हरियाली के लिए आरक्षित है जहां प्रति हेक्टेयर 25 पेड़ लगाए जाते हैं

नोट: उपरोक्त सभी धाराएं उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 के अंतर्गत (उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008) में उल्लिखित हैं। भवन के चारों ओर छोड़े गए खुले स्थान, सैटबैक उत्तर प्रदेश के लखनऊ मास्टर प्लान/जोनल प्लान के अनुसार होंगे।

3. दिव्यांगों के लिए प्रावधान -

(क) स्मारक तक आसानी से पहुंचने के लिए बाधा मुक्त डिजाइन को शामिल किया जाना चाहिए।

(ख) स्मारक के अंदर दृष्टि बाधित लोगों की सहायता के लिए ब्रेल ब्रोशर, ब्रेल साइन बोर्ड और स्पर्श मार्ग उपलब्ध कराए जाएंगे।

(ग) गलियारे की न्यूनतम चौड़ाई 1.5 मीटर होनी चाहिए।

(घ) स्मारक को दिव्यांगों के लिए सुलभ बनाने के लिए ढलान अनुपात 1:2 के रैंप उपलब्ध कराए जाएंगे।

(ड़) सभी ढलान वाली सतहों और रैंपों पर सहायता के लिए रेलिंग प्रदान की जाएगी।

ANNEXURE - V

LOCAL BODIES GUIDELINES OF THE UTTAR PRADESH URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT ACT-1973.

1. Permissible Ground Coverage, FAR/FSI and heights with the Regulated Area for new construction, Set Backs.

The General rules of construction shall be applicable for all development schemes as per development clause 1.1.2 against Development authority building construction and development sub method-2008 that is mentioned in clause 1.1.1 of Uttar Pradesh Development plan, 2008. Under the Land-use plan, construction of maximum three floors will be permissible in residential buildings where maximum permissible height is 12.5 meters with the stilt and 10.5 meters without stilt. Set-back will be as follows:

Specification	Plot Area (Sq. Mt.)	Front Margin	Rear Margin	Side1 Margin	Side2 Margin	FAR
Row Housing	Up to 50 1.0	1.0	-	-	-	2.00
	50 to 100	1.5	1.5	-	-	2.00
	100 to 150	2.0	2	-	-	1.75
	150 to 300	3.0	3	-	-	1.75
Semi Detached	300 to 500	4.5	4.5	3	-	1.50
Detached	500 to 1000	6.0	6	3	1.5	1.25
	1000 to 1500	9.0	6	4.5	3	1.25
	1500 to 2000	9.0	6	6	6	1.25

Ground coverage and FAR as per constructed/new/undeveloped area for residential flat.

Particular	Residential flat area in Sqm.	Ground Cover in percent (%)	FAR
Constructed Area	Up to 100	75	2.00
	101 to 300	65	1.75
	301 to 500	55	1.50
	501 to 2000	45	1.25
Particular	**Residential flat area in Sqm.**	**Ground Cover in percent (%)**	**FAR**
New/Undeveloped Area	Up to 100	65	2.00
	101 to 300	60	1.75
	301 to 500	55	1.50
	501 to 2000	45	1.25

Setback for Commercial/Official/Institutional/Community/Conference Hall/Public amenities, for 12.5m to 15m height:

Area of Land in Sqm.	Set Back (In Meters)			
	Front	Rear	Side 1	Side 2
Up to 200 (Except	3.0	3.0	-	-

Commercial)				
201 – 500 (Including Commercial)	4.5	3.0	3.0	3.0
More than 501(Including Commercial)	6.0	3.0	3.0	3.0

Setback for Commercial/Official/Community/Conference Hall up to three floor or upto12.5m height will be the same as above mentioned but for the Institutional/Public amenities (except educational building) the setback will be as follows:

Area of Land In Sqm.	**Set Back (In Meters)**			
	Front	**Rear**	**Side 1**	**Side 2**
Up to 200	3	3	-	-
201 – 500	6	3	3	-
500 – 2000	9	3	3	3
2001 to 4000	9	4	3	3
40001 to 30000	9	6	4.5	4.5
Above 30001	15	9	9	9

Setback for buildings having height more than 12.5m.

Height of Building (Meter)	**Setback left around the building**
12.5 to 15	5.0
15 to 18	6.0
18 to 21	7.0
21 to 24	8.0
24 to 27	9.0
27 to 30	10.0
30 to 35	11.0
35 to 40	12.0
40 to 45	13.0
45 to 50	14.0
Above 50	15.0

Basement Specifications:

(a) Basement shall not be used for residential purposes. No toilet or kitchen is allowed to be constructed in the basement.

(b) The basement is permissible below the inner courtyard and shaft.

(c) The construction of basement will be done only after evaluation of the structure.

(d) The neighbouring property should be at a minimum distance of 2m from the building property where basement has to be constructed.

For different type of buildings, the construction of basement should be accordingly:

S No.	Land area (in Sqm)	Type of Land-use	Provision for Basement
1.	Upto 100	2. Residential/other non - commercial Not Permissible	
		3. Official and commercial	50 percent ground coverage is permissible
2.	100 to 2000	1. Residential	20 percent ground coverage is permissible
		2. Non - Residential	Same as permissible ground coverage
3	Above 2000	4. Group Housing/ Commercial and other multi storey buildings	Double basement are allowed in 4000 Sqm. area of land and for land more than 4000 Sqm. area 3 basement are allowed
		5. Industry	Same as ground coverage and 50 percent of the basement will be counted in F.A.R.
		6. Public Amenities	Double basement

Parking Facility:

1. The provision of parking will be given according to the residential site area:

Construction area of residential unit	Car Parking for each residential unit
Upto 100 Sqm.	1.00
100-150 Sqm.	1.25
Above 150 Sqm.	1.50

2. Circulation area required for common car parking.
   I. Parking in open area – 23 Sqm.
   II. Covered parking – 28 Sqm.
   III. Parking in basement – 32 Sqm.

Ground coverage and FAR for other Land-use:

S no.	Land Use	Ground Coverage in %	**F.A.R**
1.	Plotted residential		
A	For Developed Area		
	• Upto 100 Sqm	**75**	**2.00**
	• 101-300 Sqm	**65**	**1.75**
	• 301-500 Sqm	**55**	**1.50**

	• 501-2000 Sqm	**45**	**1.25**
B	New /Undeveloped area		
	• Upto 100 Sqm	**65**	**2.00**
	• 101-300 Sqm	**60**	**1.75**
	• 301-500 Sqm	**55**	**1.50**
	• 501-2000 Sqm	**45**	**1.25**
2.	Commercial		
A	For Developed Area		
	• Convenient Shop	**60**	**2.00**
	• Neighbourhood shop	**40**	**1.75**
	• Shopping street	**40**	**1.50**
	• District shopping centre/ Sub Central Business District	**40**	**1.25**
	• Central Business District	**50**	**1.50**
		40	**1.75**
		30	**2.00**
B	New / undeveloped Area		
	• Convenient shop	**50**	**1.50**
	• Neighbourhood/ Sector shopping centre	**40**	**1.75**
	• District shopping centre/ Sub Central business district	**35**	**2.00**
	• Central Business District	**30**	**5.00**
3	Official		
	Constructed Area	**40**	**1.50**
	Developed Area	**30**	**2.00**
	New/Underdeveloped area		
	• Government & Semi government	**35**	**2.00**
	• Professional /Commercial office	**30**	**2.50**
4	Educational		
A	Constructed / Developing area		
	• Primary or Nursery school	**35**	**0.8**
	• High school / Intermediate / Higher institutes	**30**	**1.00**
B	New / Undeveloped area		
	• Nursery school	**40**	**0.8**
	• Primary	**35**	**1.00**
	• High school / Intermediate	**35**	**1.20**
	• Degree college	**35**	**1.50**
	• Technical / Management institute	**35**	**2.00**
5	Community and Institutional facilities		
A	Constructed / Developed area	**35**	**1.50**

B	New / Underdeveloped area		
	• Community hall, marriage hall & Religious building	**40**	**1.50**
	• Other Institutes	**30**	**2.00**
6	Hotel		
A	Constructed / Developed area		
	Till 3 star	**40**	**1.50**
	5 star and above	**30**	**2.50**
7	Hospital		
A	Constructed / Developed area		
	• Clinic/ Dispensary	**35**	**1.5**
	• 50 bedded Nursing home	**35**	**1.5**
	• 50-100 bedded Hospital	**35**	**1.5**
	• 100 & more bedded hospital	**30**	**2.5**
8	**Open Area**		
A	Constructed / Developed area	**2.5**	**0.025**
B	New / Underdeveloped area	**2.5**	**0.025**

2. Open spaces:

Open spaced standards mentioned as per Uttar Pradesh Development Plan-2008 and 2011

(a) Residential land-use: 15 percent of layout plan is to be left as open space as Tot-Lots, parks and play grounds.

(b) Non-Residential land-use: 10 percent of layout plan is to be left as open space as Tot-Lots, parks and play grounds.

c) Landscape Plan:

I. The trees will be planted at distance of 10m on one side along the road when the road width is 9m or less than 12m.

II. The trees will be planted on both sides along the road when the road width is more than 12m.

III. The area of the road left after divider, footpath etc. will be used to plant trees.

(d) In commercial planning, 20 percent of open space will be reserved for greenery and 50 trees will be planted per hectare.

(e) In the areas like institutional area, 20 percent of open area is reserved for greenery where 25 trees are planted per hectare

Note: - All the above clauses are mentioned in (Uttar Pradesh Development Authority Building Construction and Development sub method-2008) under the Uttar Pradesh Municipal planning and Development Act -1973. • The open spaces left around the building, setbacks, shall be as per the Lucknow Master Plan/Zonal Plan of Uttar Pradesh.

New Construction:

(a) Basic amenities such as water supply, drainage, sewage, power supply, open spaces and parking, etc. present in the land-use plan should not be adversely affected by the new construction.
(b) Maximum FAR and height will be as per the land-use plan.
(c) The booking office, guide office, offices related to tourism, rail / air / taxi, shops, restaurants, etc, as well as other necessary functions such as, temporary fair / exhibition, etc. will be provided by the Competent Authority under the effective building Bye –Laws.

3. Provision for differently-abled people –

(a) Barrier free design for the ease of accessibility of the monument should be incorporated. (b) Braille brochures, Braille signboards and tactile pathways to be provided to assist the visually impaired inside the monument.
(c) The minimum width of the corridor should be 1.5m.
(d) Ramps of slope ratio 1:2 to be provided to make the monument accessible to the physically challenged.
(e) Railing for assistance to be provided at all sloping surfaces and ramps.

अनुलग्नक- VI
ANNEXURE - VI

दा दरगाह हज़रत अब्बास भवन, लखनऊ दर्शाने वाला लखनऊ मास्टर प्लान-2031

Lucknow Master Plan -2031 showing the Dargah Hazrat Abbas Buildings, Lucknow

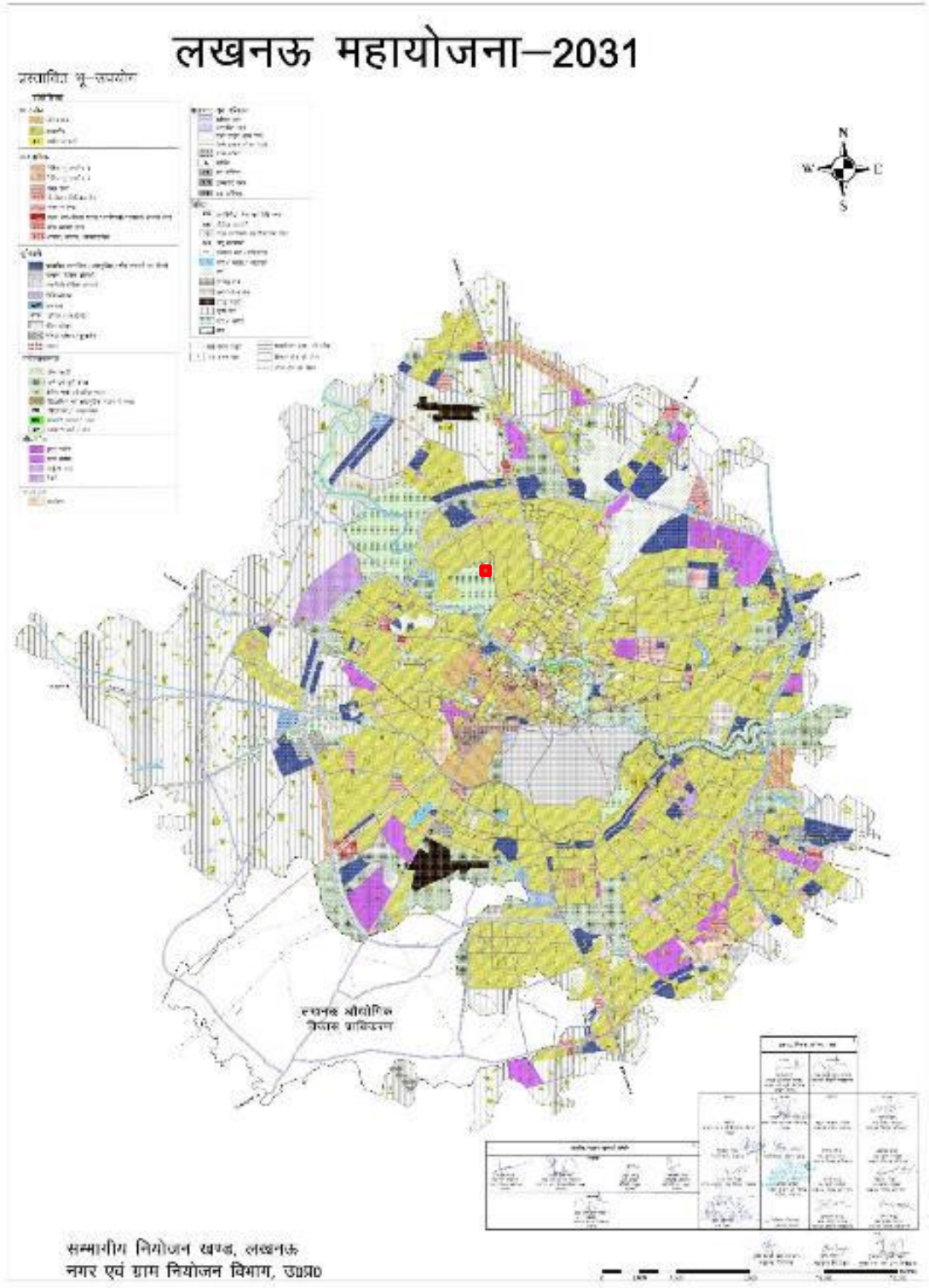

अनुलग्नक–VII
ANNEXURE –VII

लखनऊ मास्टर प्लान–2031 – विनियमन क्षेत्र

Lucknow Master Plan -2031 – Regulation Zone

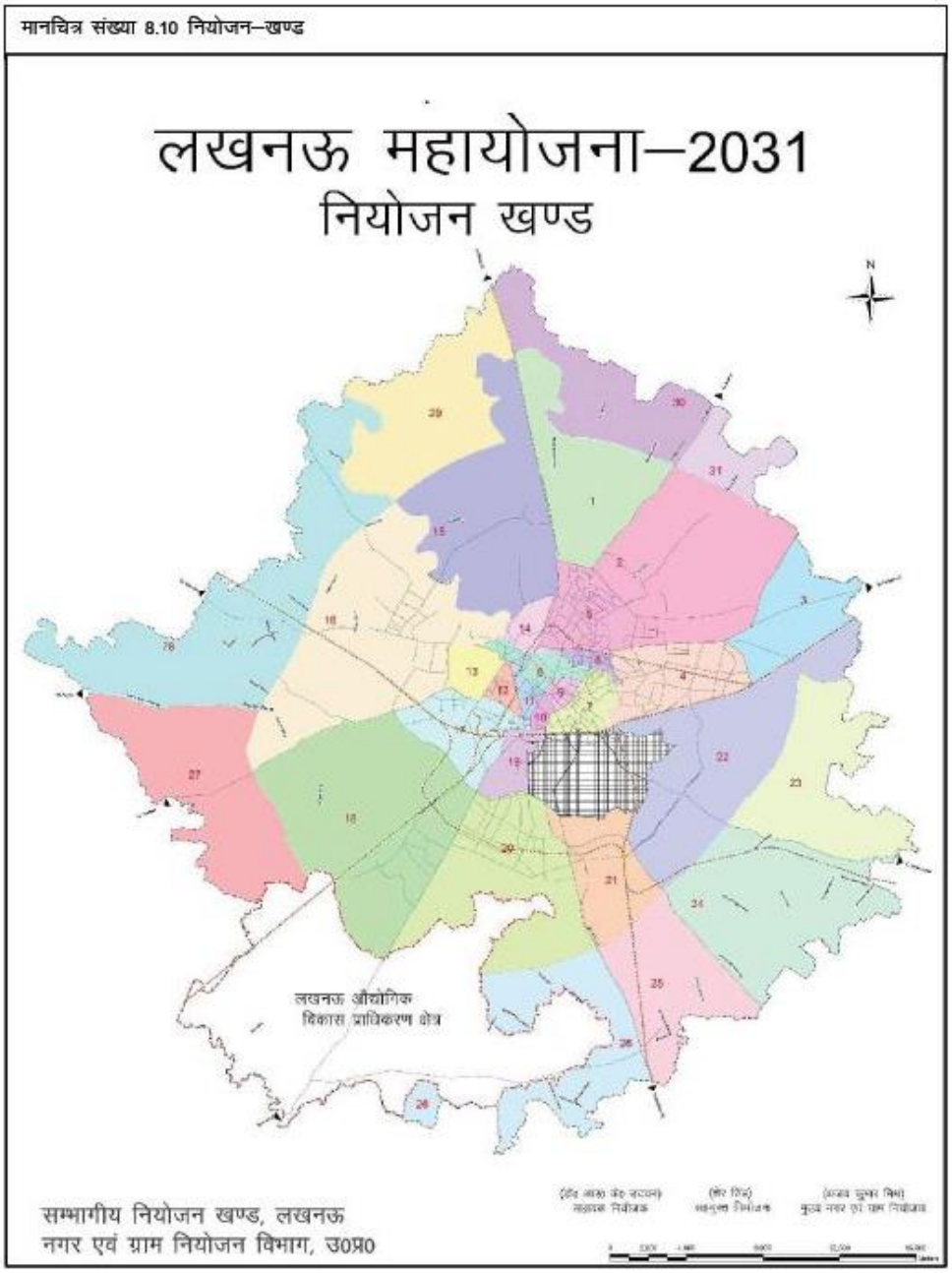

लखनऊ में 31 जोन (नियोजन खंड) अभिचिन्हित करता लखनऊ मास्टर प्लान–2031
Lucknow Master Plan -2031 identifies 31 zones (Niyojan Khand) in Lucknow

अनुलग्नक–VIII
ANNEXURE –VIII

संस्मारक और इसके आसपास के चित्र
Images of the Monument and its Surroundings

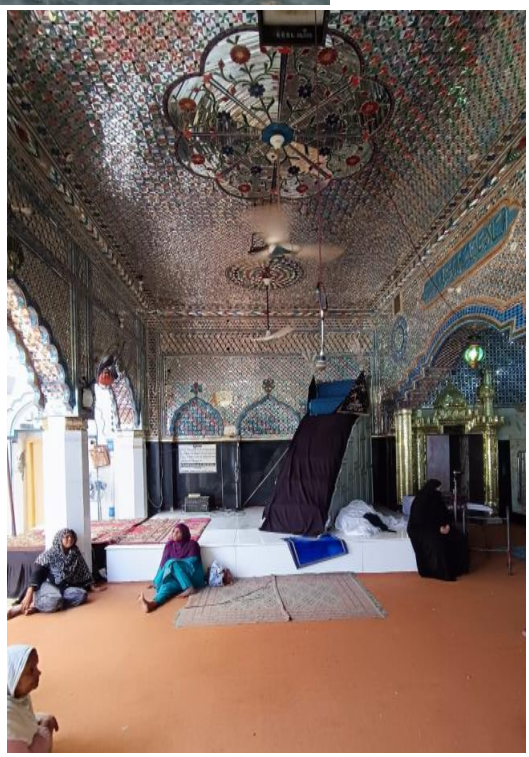

चित्र 1, 2 और 3 दरगाह हज़रत अब्बास गेटवे और तीर्थस्थल
Fig. 1,2 and 3- The Dargah Hazrat Abbas Gateway and Shrine

चित्र–4 और 5 – संस्मारक के आसपास आवासीय विकास और परम्परागत वास्तुशिल्प
Fig. 4 and 5 - Residential development and traditional architecture around the monument

चित्र 6 और 7 – संरक्षित सीमा के भीतर दो नए गेटवे का निमार्ण
Fig. 6 and 7 - Construction of two new gateways within the protected boundary